राजस्थान विधान सभा

४२वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक—४ मई, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.१५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री मोहम्मद अब्दुल हादी ।

प्रश्न संख्या ८००

चौहटन से बाखासर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति एवं उसकी प्रारम्भ तिथि

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि चौहटन से बाखासर तक सड़क की मंजूरी हो चुकी है ? अगर हां, तो इस सड़क पर कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी नहीं ।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या सरकार ने सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में इसे रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ८०१

सन् ५५–५६ से काश्तकारों को लकड़ी काटने व चराई सम्बन्धी रियायतें विशेषतया किशनगढ़ सब डिवीजन में

श्री चांदमल मेहता— क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(१) राजस्थान के किस किस जिले में काश्तकारों को लकड़ी काटने व चराई सम्बन्धी क्या क्या रियायतें ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में दी गई हैं ?

(२) क्या किशनगढ़ सब डिवीजन में भी उक्त रियायतें लागू हैं ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(१) राजस्थान के निम्न जिलों में जहां अधिकतर आदिवासी रहते हैं और जिनका मुख्य धन्धा जंगल की वस्तु पर निर्भर है उनको लकड़ी काटने एवं चराई सम्बन्धी रियायतें दी हैं। रियायतें देने के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रसारित हुई उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

उदयपुर, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा एवं बून्दी।

(२) जी नहीं।

(३) भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रख जहां जहां के लिए जो सुविधाएं प्रदान की उसका इस विज्ञप्ति में स्पष्टीकरण किया गया है। ये रियायतें अधिकतर आदिवासी जाति को इमदाद पहुंचाने के लिये हैं। इसीलिए किशनगढ़ में ये रियायतें नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या ये रियायतें भूतपूर्व राजस्थान के वक्त में भी लागू थीं ?

श्री खेतसिंह—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर इनको नये सिरे से रियायतें देने के लिए सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री खेतसिंह—इन रियायतों को कन्टिन्यू करने के लिए।

श्री चांदमल मेहता— पहले रियायतें थीं वे क्या किसी खास समय के लिए थीं ?

श्री खेतसिंह—ऐसी बात नहीं है पर इसमें बुराई क्या हुई, और स्पष्टीकरण ही हुआ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्पष्टीकरण नहीं हुआ है बल्कि नई रियायतें दी गई हैं ?

श्री खेतसिंह—इस नोटिफिकेशन की कापी सदन की मेज पर रख दी गई है, आप उसे देख सकते हैं और पुराना है उससे मिलान कर सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह—जहां तक मैं समझता हूं, नई नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो रियायतें नई नहीं हों, उनके लिए भी क्या सरकार नोटिस निकालना आवश्यक समझती है ?

श्री खेतसिंह—आवश्यक मानने का सवाल नहीं, यह नोटिफिकेशन निकल गया है।

श्री चांदमल मेहता—अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिये ये रियायतें दी गई हैं, लेकिन जिन जिलों में ये रियायतें दी गई हैं, उनमें पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा नहीं है ?

श्री खेतसिंह—मैंने पिछड़ी जातियों के लिये नहीं कहा है, आदिवासी लोगों के लिए कहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय ने नोटिफिकेशन देखा है कि इसमें इस प्रकार का कहीं जिक्र नहीं है कि आदिवासियों के फायदे के लिए यह रियायतें दी गई हैं ?

श्री खेतसिंह—मैंने तो देखा है, आप देख लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कोटा और बूंदी जिले में आदिवासियों की संख्या ज्यादा नहीं है ?

श्री खेतसिंह—इन जिलों की कुछ तहसीलों में जहां कि इन लोगों की आबादी है, वहां यह रियायतें दी हैं, जैसे शहाबाद, किशनगंज, लाडपुरा, रामगंज मण्डी और कनवास के भील क्षेत्रों में यह रियायतें दी गई हैं।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान के दूसरे जिलों में आदिवासी रहते हैं उनको यह रियायतें नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—यह प्रश्न अलग से पूछें तो पता लगा कर बता सकता हूँ।

Page No 4

श्री चांदमल मेहता—कोटा और. उदयपुर डिविजन के लिए यह रियायतें की हैं तो दूसरे डिविजन्स में रहने वाले आदिवासियों के लिए ये रियायतें नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—जहां जहां आदिवासी हैं और जिन्होंने मांग की है उनको रियायतें दी गई हैं, आप कौनसे जिले के लिए पूछ रहे हैं।?

एक माननीय सदस्य—माननीय सदस्य किशनगढ़ के लिए पूछते हैं।

श्री खेतसिंह—किशनगढ़ के लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि वहां आदिवासी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुंभाराम आर्य—चश्मा नहीं है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८०२

पाकिस्तान की सीमा पर अनूपगढ़ मे सूरतगढ़ तक की सड़क को पक्का बनाना

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार अनूपगढ़—सूरतगढ़ सड़क को जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित अनूपगढ तहसील को सूरतगढ़ से जोड़ती है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तुरन्त ही पक्की बनवाने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सिक्योरिटी रोड़ है अतः पब्लिक इन्ट्रेस्ट में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

प्रश्न संख्या ८०३

ग्राम फतहगढ़ (तहसील. सरवाड़) में राजस्थान के निर्माण के पश्चात वन विभाग के निमन्त्रण में की गई कृषि भूमि

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित, प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

[श्री चांदमल मेहता]

ग्राम फतेहगढ़, तहसील सरवाड़ में राजस्थान के निर्माण के बाद कितनी २ काश्त की भूमि कब कब वन विभाग के नियन्त्रण में ली गई और क्यों ?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—कोई काश्त की भूमि नहीं ली गई है। क्यों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५०० बीघा जमीन काश्त की ले ली गई और उसके खिलाफ ग्राम पंचायत फतहपुर ने इसके लिए बार बार मांग की कि यह जमीन काश्तकारों को वापिस लौटा दी जावे ?

श्री खेतसिंह—जो आप फरमाते हैं यह गलत है। ग्राम धनवा में करीब ३०० बीघा जमीन जो वन विभाग की थी और काश्तकारों ने दबा ली थी वह विभाग को वापिस दी गई है।

श्री चांदमल मेहता—आपने जो जानकारी दी है वह गलत है। धनवा नाम का कोई गांव अव्वल तो है ही नहीं इसलिये जो जानकारी आप दे रहे हैं वह गलत है। अगर कोई गांव हो सकता है तो वह धानवा हो सकता है। यह जमीन ली तो कब ली।

श्री खेतसिंह—यह सन् ५२–५३ में ली।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह जमीन वन विभाग में नहीं थी और सेटलमेंट रेकार्ड में यह जमीन रेवेन्यू विभाग में दर्ज की गई है और किसानों को इसके पर्चे मिले हैं ?

श्री खेतसिंह—यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसकी जांच कराएगी कि यह वन विभाग की जमीन नहीं थी और रेवेन्यू की थी और काश्तकारों को पर्चे मिल चुके थे ?

श्री खेतसिंह—जहां तक मेरे पास जानकारी है वह यही है कि काश्तकारों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया था ?

श्री चांदमल मेहता—क्या काश्तकारों ने इस प्रकार की शिकायत की कि उनके पास इस जमीन के पर्चे मौजूद हैं ?

श्री खेतसिंह—जी नहीं, ऐसी शिकायत नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८०४

भालेरी से चूरू तक की एवं राजगढ़ से पिलानी जाने वाली सड़कों का निर्माण

श्री कुंभाराम आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भालेरी से चूरू जाने वाली सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

(ख) राजगढ़ से पिलानी जाने वाली सड़क का ठेका कब, किसको तथा कितने मील का दिया गया है ?

(ग) क्या कार्य मियाद के अन्दर पूरा हो जायेगा ?

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस कार्य को समय पर पूरा करने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) इस वर्ष के अन्त तक संभावना है ।

(ख) २१ जनवरी, सन् १९५६ को श्री फकीरचन्द रामलाल, को पहले ४ मील का ।

(ग) आशा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८०५

अबोहर से बीकानेर जाने वाली सड़क निर्माण के ठेके

श्री कुंभाराम आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अबोहर से बीकानेर जाने वाली सड़क बनाने के ठेके कितने मील के कब तथा किन किन ठेकेदारों को दिये गये ?

(ख) संतोषजनक कार्य कराने हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क)

हनुमानगढ़ से अबोहर की तरफ राजस्थान की सीमा

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

मील	ठेकेदार का नाम	ठेका देने की तारीख
मील ० से ५ तक	श्री जीवनराम	२८–१२–५४
मील ६ से १० तक	श्री जीवनराम	७– १–५५
मील ११ से १५ तक	श्री प्रह्लाद दास	४–१–५५
मील १६ से २० तक	श्री किशोरीलाल	४– २–५५
मील २१ से २७ तक	श्री शिवशंकर	४– २–५५

हनुमानगढ़ से रावतसर तक—

मील ० से ५ तक	श्री मखनसिंह	१– ३–५६
मील ६ से १० तक	श्री प्रह्लाद दास	२०–१२–५५
मील ११ से १७ तक	श्री धूड़ाराम	१– ३–५६
मील १८ से २३ तक	,,	११–११–५६

(ख) हनुमानगढ़—रावतसर के हिस्से में सन्तोषजनक है, बाकी में नहीं। आवश्यक सामान को ढ़ोने के लिए रेल्वे वेगन पर्याप्त मात्रा में देने के लिए रेल्वे विभाग से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री **हंसराज आर्य**—यह सडक अबोहर से बीकानेर जावेगी उसके बीच में....(अश्रव्य)

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—जिन ठेकेदारों ने काम नहीं किया उसके बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—ठेकेदार से काम पूरा कराते हैं।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—नहीं करते उसके लिए क्या करती है ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—इसमें ठेकेदारों की गलती नहीं पाई गई। उनको सामान ढ़ोने के लिए वेगन्स नहीं मिले थे।

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या सरकार ने इसकी संतोषजनक जांच कर ली कि इसमें ठेकेदारों की कोई गलती नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको वेगन्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

श्री कुम्भाराम आर्य—उनको वेगन्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं या ठेकेदार लोग वेगन्स लेते नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं । अगर मिलते हों और ठेकेदार नहीं ले तो ठेकेदार पर जुर्माना होता है ।

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या किसी ठेकेदार पर आज तक जुर्माना हुआ हो तो बताइये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको आवश्यक वेगन्स नहीं मिले ।

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या आपने इसकी जांच की कि जिन ठेकेदारों ने काम नहीं किया उनको वेगन्स नहीं मिले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जांच की और पता लगा कि उनको वेगन्स मिले नहीं और इसलिए सामान लाने में दिक्कत आई । अब तक तो मेरी जानकारी में ऐसा ही आया है । मैं फिर इसकी जानकारी करूंगा ।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी ठेकेदार के बारे में इस प्रकार की जांच नहीं हुई । अगर कोई जांच हुई हो तो उसका जवाब ले लें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वेगन्स के लिए गवर्नमेंट ने लिखा है । लिखने से मिलते हैं । अगर ठेकेदार वेगन्स मिलने पर भी नहीं लेता है तो ऐसी रिपोर्ट मिलने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—यह ठेकेदारों की गलती कितने अर्से से पाई जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि ठेकेदारों की गलती पाई ही नहीं गई ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८०६

बीकानेर डिवीजन के व्यक्तियों की मुसालेहत का आबकारी विभाग में जमा रकम

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पृथक राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिवीजन में कितने आदमियों का मुसालेहत का रुपया आबकारी विभाग के पास जमा है ? जिलेवार और तहसीलवार उनके नाम क्या हैं ?

(ख) उनमें से कितनी रकम एक, दो और तीन साल से अधिक समय से सरकार के पास जमा है ?

(ग) आज तक उक्त रकम को वापिस न लौटाये जाने का क्या कारण है ?

(घ) कितने ऐसे केस हैं जिनके विषय में सरकार द्वारा कई बार वापिस लौटाने का यकीन दिलाया जा चुका है ? सरकार यह रकम कब तक वापिस दिलवाने के लिए तैयार है ?

श्री खेतसिंह—(क) बीकानेर डिवीजन में ऐसे मुकदमात की तादाद जिनमें कि मसालत की रकम सायलान को देनी है जिनकी तादाद ३ है, वह इस प्रकार है :

न.	नाम आसामी	साकीन	तहसील	जिला	सन्	रकम
१.	श्री भागसिंह	१२एच. एच.	गंगाननर	गंगानगर	४६-५०	२५०)
२.	,, मेहरसिंह	५0 आर.बी.	पदमपुर	,,	४८-४६	५००)
३.	,, आलीया मोची	जी. बी.	अनूपगढ़	,,	५४-५५	३००)
				मीजान		१०५०)

(ख) उपरोक्त रकम में से एक साल से अधिक ३०० व तीन साल से अधिक के ७०५) बाकी हैं।

(ग) उपरोक्त आइटम न. १ व २ के बिल दस्तीयाब नहीं हुए जिस पर नये बिल तैयार कर ट्रेजरी, गंगानगर में भेजा जाने पर वहां से एतराज कर लौटा दिया गया, जो तकमील के लिए बिल अकाउन्टेन्ट जनरल राजस्थान, जयपुर में भेजा गया। जो तकमील के लिए बिल अकाउन्टेन्ट जनरल राजस्थान, जयपुर में भेजा गया था वो हाल ही में वापिस आये हैं जो ट्रेजरी वापिस भेजे जावेंगे व आइटम न. ३ का बिल जरिये न. ६६१३ ता: २१-६-५५ को वास्ते पे आर्डर ट्रेजरी में भेजा हुआ है जो अब तक बिल वापस दस्तीयाब नहीं हुआ है; उपरोक्त कारणों से ही बिलों का पेमेन्ट नहीं हो सका।

[श्री खेतसिंह]

(ख) सरकार की तरफ से जब ऐसा आश्वासन दिया था उस समय १६ मुकदमे थे उसमें से ६ में रकम १६४०) चुकाई जा चुकी है, तीन में आसामियान का पता नहीं होने से मिसलें दाखिल दफ्तर की गई व एक में आसामी गुजर चुका है उसका कोई वारिस नहीं है ऐसी सूरत में मिसल दाखिल दफ्तर की जावेगी और तीन में कार्यवाही जारी है जिनका पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या पिछले तीन वर्षों से यह चिल्लाया जा रहा है कि वह जुर्माना की रकम वापिस दे दी जावे मगर वह बार बार चिल्लाने पर भी वापिस नहीं दी जा रही है ?

श्री खेतसिंह—मैंने पहले ही कहा कि १६ केसेज़ थे जिनमें से ९ को रकम पेमेन्ट कर दी गई है और बाकी तीन केसेज़ हैं उसमें जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दिया जावेगा। तीन में आसामियों का पता नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—यह पेमेन्ट कितने अर्से में हो जावेगा ?

श्री खेतसिंह—शीघ्रातिशीघ्र।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८०७

अलवर तीर्थ सब डिविजन में ओवरसियर एवं उनके कार्यों का वितरण

श्री घासीराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) अलवर तीर्थ सब डिविजन में कितने ओवरसियर हैं और उनका काम किस किस तरह से बंटा हुआ है ? पूरी डिटेल में इसका विवरण दें।

(ख) क्या यह सही है कि एक ओवरसीयर को इतना ज्यादा काम दिया हुआ है कि वह पूरी तरह से उसको देख भी नहीं सकता है और काम सफर होता है ? यदि हां, तो उसे इतना ज्यादा काम दिये जाने का क्या कारण है?

(ग) मार्च, सन् १६५६ में जो पेमेन्ट इन तीनों ओवरसियरों के यहां से हुये उसका अलहदा अलहदा विवरण क्या है ?

Page No 11

[redacted]

[श्री घासीराम]

(घ) क्या यह सही है कि इस ओवरसियर को दिल्ली रोड; कोटपुतली रोड और हाजीपुर रामपुर रोड दी हुई हैं, जबकि उनसे दूसरे ओवरसियरों के सेक्शन नजदीक हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क)तीन । उनका कार्य निम्न प्रकार बंटा हुआ है:

(१) सिटी सेक्शन क्षेत्रफल ५६० वर्ग मील ।

(२) बहरोड सेक्शन, क्षेत्रफल ५०७ वर्ग मील ।

(३) तिजारा सेक्शन, क्षेत्रफल ४२२ वर्ग मील ।

(ख) नहीं ।

(ग) सिटी सेक्शन में थोडा काम अधिक है, इन सेक्शनों की सीमा परिवर्तन करने के संबंध में इस विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) सीटी सेक्शन	१०८८४७ रुपये
बहरोड सेक्शन	३७४२९ रुपये
तीजारा सेक्शन	२६३६४ रुपये

(ङ) यह सड़कें इस ओवरसियर की कार्य सीमा में पड़ती हैं और वही इनको सुचारू रूप से देख सकता है ।

श्री घासीराम—इतना ज्यादा काम उसको देने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ओफिसर ज्यादा होशियार है ।

श्री घासीराम—क्या उसके काम के बारे में उसकी कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी शिकायत मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री घासीराम —क्या ज्यादा काम की वजह से काफी काम को नुकसान होता है, क्योंकि वह उसकी देख रेख अच्छी तरह से नहीं कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस काम को दुबारा बांटने का विचार हो रहा है ।

प्रश्न संख्या ८०८

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत गंग केनाल कोलोनी में बनने वाली सडकों पर व्यय होने वाली धन राशि

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत गंग केनाल कोलोनी में नई सडकें बनाने के लिये कितनी धनराशि व्यय की जावेगी और वह कौन, कौन सी सड़कों पर तथा किस किस साल में व्यय होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—विचार कबतक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दूसरी पंच वर्षीय योजना मन्जूर नहीं हुई है, डिटेल्स-वर्क आउट किये जा रहे हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या केनाल कोलोनी में खर्च नहीं किया रहा है इसलिये जवाब नहीं दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८०९

आहोर से रोहट तक जालोर व जोधपुर के बीच बनाई जाने वाली सडक पर व्यय होने वाली धन राशि एवं उसे शीघ्र पूरा करना

श्री हरिसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) आहोर से रोहट तक जो सडक जालोर व जोधपुर के बीच बनाई जा रही उस पर कितना रूपया खर्च होगा और यह सडक कितने मील लम्बी बनाई जावेगी ?

(ख) क्या यह सही है, कि इस सडक के बीच नीमला से बसी तक १५ मील का टुकड़ा अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और वह कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

(ग) कलेक्टर जालोर ने नीमले के पास जागीरदार की जमीन को अभी तक एक्वायर क्यों नहीं किया जब कि तमाम नीमले के काश्तकारों की जमीने एक्वायर हो चुकी हैं ?

[श्री हरीसिंह]

(घ) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली यह सड़क अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि जो सड़क तैयार पड़ी है उस पर सेर सेर, आधा आधा सेर के कंकड़ बिछाए हुए हैं ? यदि हां, तो इस सड़क को क्यों पास किया जारहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जल्द से जल्द खुद तहकीकात करने की कृपा करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) अनुमानतः ३०२५६० रुपये । ५३ मील ।

(ख) सच है, बाकली बांधके ऊंचे किये जाने से सड़क का यह हिस्सा बन्ध के पानी से ऊपर किसी दूसरे रास्ते से बनाया जावेगा और इसके लिये सर्वे आदि किया जा रहा है । इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने कि आशा है ।

(ग) अभी कोई जमीन एक्वायर नहीं हुई । एक्वीजीशन के कागजात बनाये जा रहे हैं

(घ) प्रथम पंच वर्षीय योजना खत्म होने के साथ इस सड़क के खतम होने की योजना नहीं थी ।

(ङ) यह सही नहीं है । यह केवल सड़क है जो कूटी नहीं जाती । गाडियों के चलने से कभी कभी बडे बडे कंकर जो नीचे की सतह में बिछाये जाते हैं ऊपर आजाते हैं ।

श्री हरिसिंह—क्या यह सही है कि इस सड़क पर डेढ़ २ सेर के कंकर पडे हैं ? क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे जब कि इस सड़क पर दो दो सेर के कंकड़ बिछाये गये जब कि पी. डब्ल्यू. डी. के कायदे के अनुसार आधा इन्च के कंकड होने चाहिये, फिर इस सड़क को पास क्यों किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस बारे में दुबारा जांच कराई जायगी अगर कोई ऐसी बात पायी गई तो उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा ।

प्रश्न संख्या ८१०

पोकरन-जैसलमेर सड़क अब तक न बन सकने के कारण

श्री हनवन्त सिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री हनवन्तसिंह]

(क) पोकरण जैसलमेर सड़क अब तक कितने मील बन चुकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस सड़क का बनाया जाना स्वीकृत किया गया था ?

(ग) उपरोक्त सड़क के अब तक पूरी न होने के क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) ३० मील ।

(ख) पूरी सड़क का नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जवानसिंह—पूरी सड़क कितनी है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैंने तीस मील बताया ना, तीस मील पंच वर्षीय योजना में रखी थी ।

श्री जवानसिंह—बाकी की सड़क कब बनेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगली दूसरी पंच वर्षीय योजना में ।

प्रश्न संख्या ८११

जिला गंगानगर में रजिस्टर्ड सहकारी समितियें एवं उनको दिलाई गई भूमि

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं और किस किस प्रकार की ?

(ख) इनमें से कितनी सहकारी समितियों को भूमि दिलवाई गई है ?

(ग) जिन सहकारी समितियों को जमीन दिलाई गई है उनके हिस्सेदारों के पास अपनी निजी भूमि कितनी कितनी है ?

(घ) उन सहकारी समितियों की जिनके हिस्सेदारों के पास निजी भूमि नहीं है आजतक भूमि न दिलवाने का क्या कारण है ?

Page No 15

श्री खेतसिंह—377 सहकारी समितियां, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(1)	केन्द्रीय ऋण दात्री	2
(2)	कृषि ऋणदात्री	65
(3)	बहुधंधी	265
(4)	औद्योगिक	20
(5)	सामूहिक कृषि	21
(6)	केन्द्रीय क्रय विक्रय संघ (फैडरेशन)	1
(7)	यातायात	2
(8)	वेतनभोगी सहकारी ऋण दात्री	1
(9)	भन्डार	1
(10)	आड़त की दुकान (कमीशन शॉप)	7
(11)	श्रमिक ठेके की	1
(12)	सामाजिक सुधार	1
		377

(ख) दो सहकारी समितियों को।

(ग) जिन सहकारी समितियों को भूमि मिली है उनके प्रत्येक तीन सदस्यों के पास 50 बीघा निजी भूमि है।

(घ) माल विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) को सिफारिश की जा चुकी है। परन्तु अभी तक भूमि समितियों को निर्धारित नहीं हुई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है जिन लोगों को जमीन दी जा चुकी है उनमें से ऐसे हिस्सेदार भी हैं जो उस कोलोनी के सब से बड़े लेन्डलोर्ड हैं ?

श्री खेतसिंह—मैंने आपसे निवेदन किया कि हरेक के पास पचास पचास बीघा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि बाकी की जमीन अपने बच्चों के नाम कर दी है और अपने पास केवल पचास बीघा रखी है ?

श्री खेतसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार ने इन लोगों की जांच कराई थी जमीन देने के पहले कि इनके पास जमीन है या नहीं ?

श्री खेतसिंह—जांच कराने के बाद ही तो पता चला कि इनके पास पचास पचास बीघा जमीन है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब इतनी इतनी जमीन इन लोगों के पास थी तो दुबारा जमीन देने की क्या जरूरत हुई ?

श्री खेतसिंह—तीन व्यक्तियों के पास है बाकी के पास नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या इन तीन व्यक्तियों के पास जिनके पास जमीन है, को-ओपरेटिव फार्मिंग के नाम पर जमीन लेने का हक है क्या ?

श्री खेतसिंह—मैंने निवेदन किया इन तीनों के पास तो जमीन है, बाकी को दिलवाने के लिये रेवेन्यू विभाग को लिखा गया है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि इन तीन हिस्सेदारों में से एक हिस्सेदार के पास ७० मुरब्बा जमीन है ?

श्री खेतसिंह—यह तो आप सूचना दे रहे हैं आप नाम बतलाइये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सरदार दरबारासिंह के पास।

श्री खेतसिंह—मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन लोगों को आजतक जमीन न देने के क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह—रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है, अबतक नहीं दे सके हैं, कार्यवाही जारी है।

श्री भैरोंसिंह—जिस समिति को जमीन दी गई है उस समिति के कितने सदस्य हैं ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह—जैसा कि आपने बताया कि तीन हिस्सेदारों के पास तो पचास पचास बीघा जमीन है तो बाकी कितने हैं जिनके पास जमीन नहीं है ?

श्री खेतसिंह—वहां दो समितियां हैं एक तो गुरुनानक कृषि सहकारी समिति और दूसरी खालसा सामूहिक सहकारी समिति। इसके मेम्बरों की संख्या आप जानना चाहते हैं तो अलग से सवाल पूछिये बतला दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या इन दोनों समितियों का एक ही मंत्री है ?

श्री खेतसिंह—यह मुझे मालूम नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या दोनों समितियां एक ही फेमिली की हैं ?

श्री खेतसिंह—आप श्री भैरोंसिंहजी ने जो कहा है उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार जिन समितियों को जमीन नहीं दे सकी है क्या उन समितियों को जमीन दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८१२

जिला जैसलमेर की सरकार द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सड़कें

श्री हनवंतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर की सरकार कौन कौन सी सड़कों को महत्वपूर्ण मानती है ?

(ख) क्या सरकार की जिला हेडक्वार्टर से तहसीलों तक सड़कें बनाने की कोई योजना है ?

(ग) यदि हां, तो उस स्कीम में कौन कौन सी सड़कें आती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) पोकरण से जैसलमेर।

जैसलमेर से बाडमेर।

(ख) जी हां, आवश्यक सड़कें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनाई जावेंगी।

(ग) निम्नलिखित सडकें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं :

पोकरन से नाचना।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जैसलमेर से सोम।

नोखा से बाप।

नाचना से नोखा।

प्रश्न संख्या ८१३

श्री अध्यक्ष—श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८१४

प्रथम पंच वर्षीय योजना में बांसवाडा जिले में पुलियाओं सहित पक्की बनाई गई सड़क

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) बांसवाडा जिले में प्रथम पंच वर्षीय योजना में कहां कहां कितने माइल पक्की सड़क मय पुलियाओं के बनाई गई और मार्च, सन् ५६ के अन्त तक कितनी धन राशि खर्च की गई ?

(२) इस समय कहां कहां सड़कों पर काम चल रहा है और बरसात के दिनों में कौन कौन से रोड पर मोटर सर्विसेज़ चालू रहेगी ?

(३) बांसवाड़ा से उदयपुर एवं राजधानी तक पहुँचने का निकट का मार्ग बरसात के दिनों में कौन सा चालू रहता है जहां से मोटर द्वारा रेलवे तक पहुंचा जा सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(२) १. बांसवाडा-रतलाम सड़क पर

२. बांसवाडा-सागवाडा सड़क पर।

मोटर वर्षा ऋतु में बांसवाडा-दोहद सड़क पर चालू रहती है।

(३) बांसवाड़ा से दोहद रेलवे टेस्शन।

Page No 19

प्रश्न संख्या ८१५

बीकानेर डिविज़न के विभिन्न जिलों में विभिन्न सड़कों हेतु इस वर्ष रखी गई धन राशि

श्री हंसराज आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) बीकानेर डिवीजन के किस किस जिले में कौन कौन सी सड़कों के लिये कितना कितना रुपया इस साल के लिये रखा गया है ?

(ब) गंगानगर जिले की कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो इस साल पूरी हो जावेंगी ?

(स) इस समय गंगानगर जिले में कौन कौन सी सड़कें चालू हैं या चालू कराई जा रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ) (ब) व (स) संलग्न सूची में बताया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये).

श्री हंसराज आर्य—सूची मुझे मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपने नोटिस ऑफिस में पता चलाया क्या ? वहां से ले लीजिये।

प्रश्न संख्या ८१६

रामदयाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित- ये प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८१७

अलवर शहर में एम. पी. के पास शासकीय गृह

(श्री भोपालसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह द्वारा पूछा गया)

श्री जवानसिंह-क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या किसी एम.पी. के पास अलवर शहर में रहने के लिये सरकारी मकान है ?

(ख) क्या यह मकान वर्तमान मुख्य मंत्री के राजस्व मंत्री के कार्यकाल में दिया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

[श्री जवानसिंह]

(ग) क्या इस मकान के निर्माण काल से ही इसमें अलवर शहर के सरकारी पावर हाउस के इन्जीनियर रहते चले आए थे ?

(घ) क्या यह सही है कि सरकारी इन्जीनियर से मकान खाली कराने के लिये उसका स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो अल्प समय में इस इन्जीनियर के स्थानान्तरण के क्या कारण थे ?

(ड) क्या यह भी सही है कि फिर दूसरा इन्जीनियर जो अलवर का रहने वाला था और जो उस मकान में भूतपूर्व अलवर राज्य के समय भी रहता था उसने यह मकान रहने के लिये मांगा तो इन्कार किया गया और फिर उसका स्थानान्तरण भी अन्य स्थान पर करा दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह २५ आर. एम. है, गलती से आज आगया, रेवेन्यू मिनिस्टर अपनी नेक्स्ट टर्न पर इसका जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष— आपके विभाग को यह ट्रान्सफर किया गया है। २८ फरवरी को ऐसी सूचना हमारे सचिवालय में है कि यह लोकल सेल्फ विभाग से कन्सर्न है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के नेक्स्ट टर्न पर जवाब दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष— अभी देना हो तो दे दीजियेगा ।

श्री जवानसिंह— क्या इस प्रश्न का जवाब सोमवार तक मिल जायगा ?

श्री भैंरोसिंह— इस प्रश्न का जवाब कब मिल जायगा ? ११ तारीख तक मिल जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष— लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की अगली टर्न पर जवाब देंगे ।

प्रश्न संख्या ८१३

श्री मनफूलसिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८१६

गांधीनगर में बनने वाले नये भवनों को पानी के नल के कनेक्शन एवं इस संबन्धी विचारार्थ आवेदन पत्र

श्री रामदयाल उपाध्याय— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

Page No 21

[श्री रामदयाल उपाध्याय]

(१) गान्धीनगर में बनने वाले नये भवनों के लिये किन किन व्यक्तियों को पानी के नल का कनेक्शन दिया गया है ?

(२) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने पहले दरख्वास्त दी उनको कनेक्शन नहीं दिया गया और बाद वालों को कनेक्शन दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— (१) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(२) ५८ व्यक्ति।

(३) कार्य के लिये रुपया जमा कराने के क्रम से कनेक्शन दिया जाता है, न कि दरख्वास्त देने की तारीख से।

श्री रामदयाल उपाध्याय— विचाराधीन केसेज़ कब तक तै हो जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— जल्दी हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष— कल का पोस्टपोन किया हुआ प्रश्न नम्बर ७८३।

प्रश्न संख्या ७८३

दुर्गापुरा (त० सांगानेर) स्थित शासकीय कृषि फार्म का वार्षिक आय-व्यय

महाराजा श्री केसरीसिंह— क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित सरकारी कृषि फार्म का सालाना खर्चा व आय क्या है ?

(ब) सालाना फलों के पौधे किस दर से दिये जाते हैं ?

(स) सालाना कितने पौधे बिक जाते हैं और इससे क्या आय होती है ?

श्री खेतसिंह् (उपमन्त्री) —(क) उत्तर तालिका में संलग्न है।

(ख) (ग) और (घ) ... ...

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

महाराजा श्री केसरीसिंह्— तालिका नहीं दी गई है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष— कल भी यह इसलिये पोस्टपोन कर दिया गया था कि तालिका नहीं दी गई है तो वह दे दी जावे। इस आफिस में वह नहीं आई, न उनको दी गई और न नोटिस आफिस में दी गई।

श्री खेतसिंह्— यह फोर्थ प्रिन्ट है मेरे पास भी। मैं भी इसे पढ़ नहीं सकता।

महाराजा श्री केसरीसिंह्— बड़ा अफसोस है मिनिस्टर महोदय इस प्रकार का उत्तर देते हैं।

श्री भैंरूंसिंह्— इसमें कसूर हमारा थोड़े ही है।

श्री खेतसिंह्— इसको पोस्टपोन कर दीजिये सहाब। सोमवार को मैं जवाब दे दूंगा।

महाराजा श्री केसरीसिंह् – अगर फिर भी यही दलील आयो तो इसका क्या इलाज ?

श्री अध्यक्ष—I am very glad the Minister is conversant with his own weakness.

महाराज श्री केसरीसिंह्—That is a very good sign.

श्री अध्यक्ष—(महाराज श्री केसरीसिंह से) आपको सोमवार को जवाब दे देंगे ये।

श्री भैंरूंसिंह्—न दें तो काफी है।

राजस्थान नौका नयन नियमन विधेयक, १६५५

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री अध्यक्ष—Yes, Presentation of Select Committee Report.

श्री हिमतसिंह् अटरू—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नौका नयन नियमन विधेयक, १६५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं कि राजस्थान राज्य में नदियों तथा झीलों में नौका नयन के नियमन किये जाने के हेतु है।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४
(अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल, १९५४ पर अग्रेत्तर वाद-विवाद । क्लॉज़ ७ ए.

श्री तेजमल बापना—माननीय अध्यक्ष, मैं क्लॉज़ ७ ए में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इस क्लॉज़ को ओमिट कर दिया जावे । इसमें जो दो महीने पहले का नोटिस रक्खा है वह कोई ज्यादा जरूरी नहीं हैं और इसके ऊपर काफी बहस भी पहले हो चुक है । सिलेक्ट कमेटी में भी वाद—विवाद हुआ है । मुनासिब यह है कि इसको ओमिट कर दिया जावे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यह अनावश्यक हो गया है क्योंकि इसके पहले के क्लॉज़ों में ऐसा प्रोविज़न किया जा चुका है ।

(अनौपचारिक चर्चा के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ (ए) में जो संशोधन श्री तेजमल बाफना ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया और खण्ड ७ ए को विलोपित किया गया ।

(विराम)

खण्ड ८ (ए), श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर—इसके बजाय मैं पेश कर दूं साहब । यह तो एग्रीड था ।

श्री अध्यक्ष—No proxy in amendments. We can postpone it till the member returns and the Treasury Benches may make arrangements for transporting the member here.

श्री सोहनलाल भटनागर—अगर यह नहीं होगा ...

श्री अध्यक्ष—पोस्टपोन किये देते हैं इसको । Yes, then we come to clause 33.

There is one option. The Minister concerned can move it. Only one option.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--८ (ए) को ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यह मैं अमेन्डमेन्ट मूव करने की आपसे इजाजत चाहता हूं।

Add the following as clause 8 A:—

"Establishment and in-corporation of Municipal Councils.—Notwithstanding any thing contained in section 8, there shall be established in every city a municipal council and every such council shall be a body corporate by the name of the municipal council of the City by reference to which the Municipality is known and shall have perpetual succession and a common seal and may sue or be sued in its incorporate name."

अध्यक्ष महोदय, ८ ए में संशोधन स्वीकार किया है इसके अनुसार सिटीज़ में म्यु० को कौंसिल का नाम दिया है और इसलिये यह अमेंडमेंट किया गया है। एग्रीड अमेंडमेंट है। इसे स्वीकार किया जाय, यह मैं सदन से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ८ ए, का जो संशोधन श्री बद्रीप्रसादजी ने मूव किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। खण्ड ८ ए, विधेयक अंगबना

(विराम)

Clause 33. The Amendment was moved by Shri Chandmal Mehta.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मूव हो गया साहब। इसमें ऐसा निवेदन है कि श्री चांदमल का अमेंडमेंट है नम्बर २१ (२) इसको स्वीकार कर लिया जावे और बाकी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं।

२१ (२) है।

श्री अध्यक्ष—Substitute the following for sub-clause (2):—

" The petition may be presented by any candidate in whose favour votes have been recorded and who claims in the petition to be declared elected in the room

[श्री अध्यक्ष]

of the person whose election is questioned by ten or more electors of the municipality or by a person who claims that his nomination was improperly rejected."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसी को स्वीकार कर लिया जाय, यही है।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे बाद के अमेंडमेंट को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—खण्ड २१ (ए) में जो सन्शोधन है कि "substitute the figure '15' for '30' occurring in sub-clause (1) इसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना सन्शोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३३ में जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने २१ (२) रक्खा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।
(विराम)
खंड ४५।

श्री भैंरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ३३ में मेरा भी संशोधन था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—३३ में वह विदड्रा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—हमारे यहां तो है नहीं कोई।

श्री भैंरूंसिंह—मैंने मूव तो किया था।

श्री अध्यक्ष—कहीं बाहर ही किया होगा।

श्री भैंरूंसिंह—नहीं, हाउस में किया था। खैर, मैं प्रेस नहीं करना चाहता।

Page No 26

श्री अध्यक्ष—अच्छा । Then we proceed to clause 45.

श्री तेजमल बापना—I have to move, Sir. ४५ में मेरा एमेंडमेंट है ।

माननीय अध्यक्ष, मैं जो अभी क्लाज ४५ पर बहस चल रही थी उसके बजाय नया क्लॉज, प्रस्तुत करता हूं । वह उस के बजाय दर्ज किया जाय । उसमें रिमूवल ऑफ मेम्बर्स के वह संबंध में दिया गया है—

"Removal of members:—The State Government may, subject to the provisions of sub-sections (2) & (3), remove a member of a board on any of the following grounds, namely:—

(a) that he has absented himself from the meetings of the board for more than three consecutive months or three consecutive ordinary general meetings, without leave of the board.

Provided that the period during which such member was in Jail as an under-trial prisoner or as a detenue or as a political prisoner shall not be taken into account;

(b) that he has failed to comply with the provisions of section 43;

(c) that he has incurred any of the disqualifications mentioned in section 17 or section 24;

(d) that he has.

(i) been guilty of misconduct in the discharge of his duties, or

(ii) been guilty of any disgraceful conduct, or

(iii) become incapable of performing his duties as member.

(iv) otherwise flagrantly abused in any manner his position as such member;

Provided that an order of removal shall be passed by the State Government after such inquiry as it considers necessary to make either itself or through such officer or authority as it may direct and after the member concerned has been afforded an opportunity of explanation.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where it is proposed to remove a member on any of the grounds specified in clause (c) or clause

[श्री तेजमल बापना]

(d) of sub-section (1) as a result of the inquiry referred to the proviso to that sub-section and after hearing the explanation of the member concerned, the State Government shall draw up a statement setting out distinctly the charge against the member and shall send the same for inquiry and findings to a tribunal consiting of a chairman and not less than two members as constituted by the State Government in the prescribed manner.

(3) The tribunal so constituted shall proceed to inquire into the charge in the prescribed manner, hear the member concenred if he makes appearance before it, record its findings on each matter embodied in the statement as well as every other matter it considers relevant to the charge and send the record along with such finding to the State Government, which shall there upon pass orders in conformity with those findings.

(4) Notwithstanding the foregoing provisions of this section the State Government may place under suspension a member against whom proceedings have been commenced under this section until the conclusion of the inquiry and the passing of the final order and the member so suspended shall not be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member thereof.

(5) Every order of the State Government passed under this section shall be final and no such order shall be liable to be called in question in any court."

माननीय अध्यक्ष, एक मेम्बर के रिमूव करने के सम्बन्ध में जो ओरीजिनल बिल के अन्दर या सिलेक्ट कमेटी की तरफ से जो एमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया था उसमें काफी वाद-विवाद हुआ है, और एक मेम्बर के रिमूवल का प्रश्न महत्वपूर्ण माना जाकर उस संबन्ध में एक ओथोरिटी जो कि पहले कलेक्टर और कमिश्नर में रखी गई थी उसके बजाय एक ट्रिब्युनल कायम करने का जो प्रोवीजन इसमें रखा है, वह बड़े अहम का प्रश्न है। उससे जो बेजाब्तगी या ज्यादती होने की सदस्य महोदय को आपत्ति थी अब उसका कोई डर नहीं और उसमें न्याय का काफी गुंजाइश रह गई है। इसलिए मैंने ४५ के स्थान पर दूसरी क्लॉज़ प्रस्तुत की है, मैं समझता हूं कि सब इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ ४५ है इसमें जो सदन की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल हो कि उसके पास ऐसे रिमूवल के केसेज़ जांय, वह इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह की ट्रिब्यूनल की फायंडिंग्स हों उसके मुताबिक आर्डर पास करदे।

Page No 28

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इसमें दो एमेंडमेंट्स जो चांदमलजी के और भैरूंसिंहजी के रह जाते है वह इसमें आ गया है। इसलिए दोनों महानुभाव अपने एमेंडमेंट्स को विद्ड्रा कर लेंगे और यह एमेंडमेंट मैं स्वीकार करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को उनका एमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो एमेंडमेंट खंड ४५ पर श्री भैरूंसिंह ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खंड ४५ पर जो संशोधन श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

Page No 29

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजमल बापना ने खंड ४५ में रक्खा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया और खंड ४५ को सब्स्टीट्यूट किया गया।

Is this a parallel to some other provisio ns in some other Municipal Acts—45 Removal of Member—or it is new.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is new in Rajasthan.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—This is a departure form democratic principles. Substi ute Clause 45 is added to the Bill

(विराम)

खंड ४६, प्रश्न यह है कि खंड ४६ ......

श्री तेजमल बापना—इसके ऊपर मेरा एमेंडमेंट है। वह इस तरह से है—

"For the existing clause. substitute the following-

'46. Disability of members removed under section 45-

(c) (d): A member removed under Cluse (d) of sub section (1) of section 45 shall not be eligible for re-election for a period of four years from the date of the order of his removal.)

यह संशोधन क्लॉज ४६ में कर दिया जाय। चूंकि कोई मेम्बर यदि मिसकन्डक्ट या डिसग्रेसफुल कन्डक्ट वगैरह का कुसूरवार होता है तो उसकी चीज क्लॉज़ ४६ जो कि सिलेक्ट कमेटी से पास शुदा है उसमें फरदर इलेक्शन, रिइलेक्शन के लिये एलिजिबल मानते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध करने वालों को फिर मौका देना मैं उचित नहीं मानता हूं। इसलिये ४ साल के लिये बन्द कर दिया जाय, यह मेरा एमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरू सिंह।

(अनुपस्थित)

Page No 30

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खंड ४६ पर जो संशोधन श्री तेजमल बापना ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। सब्स्टीट्यूटेड क्लॉज़ ४६ विधेयक का अंग बना

(विराम)

खंड ४७।

श्री तेजमल बापना—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४७ पर मेरे चार एमेंडमेंट्स हैं। एक तो सब क्लॉज़ (९) के पार्ट (बी) में है —"For part (b) of sub-clause (9) substitute the following:-

"(b) If a resolution expressing want of confidence in him is passed by the votes of more than one half of the whole number of members at a special general meeting convened for the purpose and is confirmed likewise at the second special general meeting held within fifteen days from the date of the first meeting."

दूसरा है—"For sub-clause (1o), substitute the following:-

"(1o) Every Chairman and every Vice-Chairman shall be removable from his office as such Chairman and Vice-Chairman on any of the grounds specified in clause (d) of sub-section (1) of section 45, and the provisions of sub-section (2) to (5) of that section shall apply."

तीसरा है कि सब क्लॉज़ (११) को ओमिट किया जाय और चौथा है कि सब क्लॉज़ (१६) में जो 'Conveyance' शब्द है वह ओमिट किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को मूव करते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई नो कोन्फीडेन्स मोशन लाने के लिये टेम्पोरेरी फेज़ आ जाता है तो सदस्यों को पूरा डिस्कीशन यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है और किसी वजह से कोई सदस्य इस प्रकार से नोकोन्फीडेन्स मोशन के साथ मिल जाय तो मैंने यह संशोधन रखा है कि नोकोन्फीडेन्स मोशन के सम्बन्ध में एक स्पेशल जनरल मिटिंग बुलाई जाय और दूसरी नेक्स्ट स्पेशल जनरल मिटिंग १५ दिन में बुलाई जाय और उसमें उसको कन्फर्म कराया जाय तब हो

Page No 31

[श्री तेजमल बापना]

नो कान्फीडेन्स मोशन पास किया हुआ माना जाना चाहिये । यह एक महत्व का अमेन्डमेन्ट है और मैं आशा करता हूं कि इसको पास किया जायगा ।

दूसरा संशोधन है सब क्लॉज १० के सब्स्टीट्यूट के लिये । चेयरमेन या वाइस चेयरमेन के मिसकन्डक्ट और अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करने के सम्बन्ध में है, उसको उस सूरत में हटाया जा सकता है ।

सब क्लॉज (११) को ओमिट कर दिया जाय ऐसा मेरा अमेन्डमेन्ट है । वह भी जरूरी है जो कि नोमिनेशन के सम्बन्ध में है । अगर चेयरमेन या वाइस चेयरमेन दोनों अलग हो जांय तो उस सूरत में स्टेट गवर्नमेंट दूसरे को नोमिनेट करे । इसको ओमिट किये जाने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है ।

सब क्लॉज़ १६ में 'कन्वेयेन्स, शब्द को ओमिट करने के सम्बन्ध में मेरा और अमेन्डमेंट है । चेयरमेन या वाइस चेयरमेन के लिये जो मंथली कन्वेयेन्स अलाउन्स रखा है उसमें कन्वेयेन्स शब्द को ओमिट कर दिया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ३२, ३३, ४७, ४८ मूव नहीं हुए थे ।

एक माननीय सदस्य—४७ मूव हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरोंसिंहजी और श्री गुलाबचंदजी कासलीवाल ने मूव किये हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड ४७ में जो संशोधन श्री भैंरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ? जो इसके पक्ष में हो वे हां कहें ? (राज्य पक्ष द्वारा)

(विराम)

So absent minded in the House.

श्रीबद्रीप्रसादगुप्ता—कासलीवालजी का एक्सेप्ट होगा ।

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ में जो संशोधन श्री भैंरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गुलाबचंदजी कासलीवाल ने खंड ४७ मे रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री गुलाबचन्दजी कासलीवाल का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४७ को, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५४

श्री तेजमल बापना—इसमे मेरा अमेन्डमेंट है।

(विराम)

"माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ५४ में मेरा निम्न अमेन्डमेंट है :

(1) In sub clause [4], substitute 'or his nominee' for 'and no other person' and insert 'or nominee' after 'such authority' wherever occuring.

(2) In sub-clause (6), insert 'or his nominee' after 'authority.'

(3) In sub-clause [7], substitut '4' for '3'

(4) In sub-cluase (8), insert 'or his nominee' after 'authority'.

(5] for sub clause [9], substitute the following clauses —

[श्री तेजमल बापना]

(9) If the motion is carried by a majority specified in clause (b) of sub-section (9) of section 47 a second special general meeting shall be held whithin fifteen days for the confirmation thereof and, notwithstanding any thing contained in section 52 as to the period of notice, the date for such second meeting shall be fixed and announced at the first meeting.

(1) At the second meeting referred to in sub-section (9) the presiding authority or his nominee shall preside but if neither of them is present, the members present may elect one from amongst themselves so to preside,

(11) If the motion is not carried by a majority specified in clause or by a majority specified in

(a)clause (b) of sub-section (9) of section 47 at the first meeting or at the second meeting or if any meeting cannot be held for want of a quorum, no notice of any subsequent motion of non-confidence in the same Chairman shall be received until the expirty of a period of six months from the date of the meeting or second meeting, as the case may be."

अध्यक्ष महोदय, जो सब क्लॉज़ (४) में प्रेसक्राइब्ड ओथोरिटी की मीटिंग प्रिसाइड करने को ओथोराइज़ किया गया है उसके साथ साथ एक उसका नोमिनी भी एड कर दिया जाय, यह साधारण सा अमेन्डमेन्ट है। क्यों कि यदि जो ओथेरिटी समय पर न आये तो उसका नोमिनी पहुंच जाय और मिटिंग की व्यवस्था कर दे। सब क्लॉज़ ६ में भी नोमीनि शब्द एड करना है। सब क्लॉज़ ७ में डिस्कशन का जो पीरियड है थी आवर्स का उसको फोर आवर्स कर दिया जाय। सब क्लॉज़ ८ में भी नोमिनो शब्द एड करना है क्योंकि ऊपर भी रखा है। सब क्लॉज़(९) में जैसा कि क्लॉज़ ४७ में डिस्कस किया है कि फर्स्ट मिटिंग नो कान्फीडेन्स मोशन के लिए कन्वीन की है तो दूसरी स्पेशल मिटिंग हो और उसमें उसको कन्फर्म कराया जाय। लेकिन एक अमेन्डमेन्ट इस बात का है कि अगर फर्स्ट मिटिंग में और सेकिन्ड में कोरम पूरा न हो तो छः महीने में नो कॉन्फीडेन्स मोशन न लाया जाय। यह आवश्यक अमेन्डमेन्ट है जो मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इनको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५४ में जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५६ में जो संशोधन श्री तेजमल बापना ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५४ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड ५४, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया ।

(विराम)

खण्ड ६३

श्री तेजमल बापना—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ६३ (१)में मेरा यह अमेन्डमेन्ट है:

"Add the fallowing proviso to sub-clause (1):-

'provided that, subject to the rules made by the State Government in this behalf, no Government land which has become vested in a board under clause (e) of subsection (2) of section 75 shall be sold, leased or otherwise transferred except with the approval of the Collector if the value of such land exceeds five hundred rupees in the case of a city or two hundred rupees in the case of any other municipality or if the sale, lease or other transfer thereof is effected otherwise than by public auction in the prescribed manner.'

In sub-clause (9), omit 'and chapter XIII,"

अध्यक्ष महोदय, सेल और लीज़ का जो प्रोविजन इसके ओरिजनल क्लॉज़ में रखा है और जिसे सिलेक्ट कमेटी ने अमेन्ड किया है उसके बाद मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह जरूरी अमेन्डमेन्ट है । ५०० रु. तक की कीमत यदि सिटी म्युनिसिपेलिटि हो, और ओर्डिनरी दूसरी म्युनिसिपेलिटी हो तो २०० रू. का सेल और लीज़ जरूरी ।

Page No 35

श्री अध्यक्ष—कुछ समझ में नहीं आता, amendments are not quite explanatory. यदि मन्त्री जी इसे स्वीकार करते हैं तो ठीक है।

श्री सोहनलाल भटनागर का भी एक अमेण्डमेन्ट क्लॉज़ ६३ पर है।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं इसे विद्ड्रा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ ६३ में रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६३ में जो संशोधन श्री तेजमल बापना ने रखा उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ६३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

श्री तेजमल बापना—क्लॉज़ ७३ भी बाकी है।

श्री अध्यक्ष—73 is already passed

श्री तेजमल बापना—I beg to move:—

(1)Part [aa] of sub-clause [1] of Clause 73, omitted by the house, be restored,"

(2) In part of the words omitted by the House be restored."

अध्यक्ष महोदय, ड्राइवर्स और वेहिकल्स के लाइसेन्स का जो प्रोविजन ओरिजनल बिल में रखा गया था उसे सिलेक्ट कमेटी ने हटा दिया था। लेकिन यह जरूरी क्लॉज़ है इसलिये इसे वापिस रेस्टोर किये जाने के लिये मेरा यह संशोधन प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि खंड ७३ में जो संशोधन श्री तेजमल बापना ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ७३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड ७३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ८७

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८७ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है—

For the existing clause, substitute the following-

"87. Obligatory taxes. Every board shall levy, at the rate and from such date as the State Government may, in each case direct by notification in the Rajasthan Gazette and in such manner as is laid down in this Act and as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf, the following taxes namely:—

(i) a tax on the annual letting value of buildings or lands or both, situated within the municipality, and

(ii) an octroi on goods and animals brought within the limits of the municipality for consumption, use or sale therein:

Provided that the tax under clause (1) shall not be leviable on kham houses or on buildings of which the annual letting value is less than one hundred and twenty rupees in the case of a city or sixty rupees in the case of any other municipality."

[श्री तेजमल बापना]

अध्यक्ष महोदय, यह टेक्सेशन का क्लॉज़ बडा इम्पोर्टेन्ट क्लॉज है। इसमें इसके साथ साथ ८७ ए. और बढ़ाये जाने का मेरा दूसरा संशोधन और है जो इस प्रकार है :

" 87 A.—Other taxes that may be imposed-Subject to the general or special orders of the State Government in this behalf, a board may impose and levyin the whole or any part of the municipality for which it is established all or any of the following taxes, namely:—

(i) a tax on vehicles and other conveyances plying for hire or kept within the municipality;

(ii) a tax on dogs kept within the municipality;

(iii) a tax on animals used for riding, driving, draught or burden, when kept within the municipality;

(iv) a toll on vehicles and other conveyances and on animals entering the municipality;

(v) a tax on boats morred within the municipality;

(vi) a scavenging tax;

(vii) a tax for the cleaning of private latrines or privies:

(viii) a general sanitary tax for the construction or maintenance or both of public latrines and for the removal and disposal of refuse;

(ix) a lighting tax:

(x) a water tax for water supplied by the board, which may be imposed in the form of a rate assessed on the annual letting value of buildings or lands or both or in any other form,

(xi) a tax on trades and callings carried on within the municipality and deriving special advantages from, or imposing special burdens on, municipal services;

[श्री तेजमल बापना]

(xii) a tax on professions and vocations including all employments remunerated by salary or fees; and

(xiii) any other tax which the State Legislature has power to impose under the Constitution :

Provided that—

(a) no tax under clause (i) or clause (iv) shall be leviable in respect of any motor vehicle as defined in the Motor vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) or any other mechanically propelled vehicle;

(b) no tax under clause (i) or clause (iii) shall beleviable in respect of—

(i) one bicycle and one horse kept by a member of the Rajasthan Police Force for the performance of his official duty, or

(ii) horses being registered chargers of the officers of the Indian Army;

(c) No toll under clause (iv) shall be leviable in respect of—

(i) any vehicle or animal used for the conveyance of the property of the Ruler of a covenanting State or the members of his family or of Government stores or any other Government property or of any property in the custody of military or police officers on duty, or--

(ii) any vehicle or animal used for the passage of troops or of the military or police officers on duty or of any person in their custody;--

(d) no tax under clause (vi) or clause (vii) shall be imposed unless the board has undertaken house scavenging or has made provision for the cleansing of private latrines or privies by manual labour or for conducting or receiving the sewage thereof into municipal sewers or into such place or places as may have been fixed; and

(a) no tax under clause (x) shall be imposed on lands exclusively used for agricultural purposes.

[श्री तेजमल बापना]

(2) Nothing ln this section shall authorise or be deemed to authorise the imposition or levy of any tax which the State Lagislature has no power under the Constitution to impose or lavy in the State.'

अध्यक्ष महोदय, यह टेक्सेशन का क्लॉज़ बहुत इम्पोर्टेन्ट है। बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज़ अपना साधारण खर्चा भी नहीं चला सकती हैं इसलिए जो ओरिजिनल क्लॉज़ में और सेलेक्ट कमेटी ने प्रस्तुत किया है उसके बादजो अमेंडमेंट मैंने मूव किये हैं, उसमें कुछ तो ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ रखे हैं और कुछ डिस्क्रिशनरी टैक्स रखे हैं। हाउस की लेटिंग वेल्यू और ओक्ट्राय पर कम्पल्सरी टैक्स रखा है, जिससे साधारण आमदनी म्युनिसिपेलिटी को होती रहे। दूसरे टेक्सेज़ भी मैंने मूव किये हैं, वह भी म्युनिसिपेलिटीज़ लगा सकती हैं और ओक्ट्राय और बिल्डिंग्ज़ के सम्बन्ध में लेटिंग वेल्यू के लिए म्युनिसिपेलिटी गवर्नमेंट को मूव कर सकती है और गवर्नमेंट उचित समझे तो मुक्ति या अनुमति दे सकती है।

इन अमेंडमेंट्स के स्वीकृत हो जाने से साधारण आमदनी म्युनिसिपेलिटीज़ को अपना खर्चा चलाने की और जो उन पर ड्यूटीज़ हैं, उन्हें डिस्चार्ज करने की वह भी साधारणतया हो सकती है और मुझे उम्मीद है कि ये मन्जूर किये जायंगे।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—माननीय अध्यक्ष,......

रावत श्री शंभुसिंह—इस पर मेरा भी एक अमेंडमेंट है, अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष—पहले ये नये हो जाने दीजिये, अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट आ रहे हैं।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—माननीय अध्यक्ष, श्री तेजमल बापना का जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ लेंग्वेज़ को क्लियर करने के सिलसिले में और एक नया क्लॉज़ जोड़ने के लिए मैं अपना अमेन्डमेन्ट पेश करता हूँ। जहां ये दो कम्पल्सरी टैक्स हैं वहां एक टैक्स और बढ़ा दिया जाय ;

"a tax on professions and vocations"

इसका जो प्रोविज़ो है उसकी इबारत को चेन्ज करके उसको भी ठीक किया है: and that will run like this:—

"Provided that—

[श्री त्रवेणी श्याम]

[a] the tax under clause [1] shall not be levied on.

[i] Kham houses, or [ii] on building of which the annual letting value is less than 120/- in the case of a city or 60/- in the case of any other municipality, and

(b) the tax under clause (3) shall not be levied on arti sans"

और इसके आगे एक प्रोविज़ो को भी इस तरह कर दिया जाय :

"Provided further that upon a representation made to it, by, and at the request, of a board, the State Government, if it is satisfied that circumstances exist which sufficiently provide the justification for a board not to levy, or to stop the levy of, any of the taxes mentioned in this section, may, by special order published in the Rajasthan Gazette, along with the reasons for making such order, permit the board not to levy, or to stop the levy of any such tax."

इसके प्रोविजो की इबारत को इस तरह चेंज कर दें। क्लॉज़ ८७ ए. में :

"In clause 87A as proposed by Shri T. M. Bapna, M. L. A. [amendment 8o. 154] [i] omit part [xii] and [ii] renumber part [xiii] as clause (xii).

१२ के नम्बर को ओमिट करके १३ को रिनम्बर्ड कर दिया जाय १२ से।

यह मेरा अमेंडमेंट है।

श्री तेजमल बापना—मुझे यह स्वीकार है साहब।

रावत श्री शंभु सिंह—माननीय अध्यक्ष, इसमें मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

[138] a. Delete parts (vii) and [viii].

b. Add the following fresh sub-part before the existing sub-part [a] of part [xvi] and then renmber the sub-parts accordingly.

'[a] No taxes shall be imposed voluntarily by a Board except.

[a] a toll on vehicles and other conveyances, animals entering the municipality.,

[श्री शम्भुसिंह]

(ii) an octoroi on goods or animals brought within the municipality for consumption or use therein.

माननीय अध्यक्ष, जो ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ हैं उनमें से यह दो टेक्सेज़ ओमिट करने के लिए यह अमेंडमेंट रखा है, टोल टैक्स और ओक्ट्राय को डिलीट करने का रखा है और यह नया पार्ट जोड़ने का रखा है। इसकी मन्शा यह है कि टोल टैक्स और ओक्ट्राय टैक्स ओब्लीगेटरी नहीं होने चाहिये वालंटेरिली होने चाहिये, इसलिए मैं अपना यह अमेंडमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में क्लॉज ८७ के विषय में अभी जो नये संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उन संशोधनों का विरोध करने के लिए मैं कुछ शब्द सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ इम्पोज़ करने का प्रश्न उपस्थित होता है हमारे सामने बार बार एक चीज आती है कि यदि हमें नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना है तो हमें इस प्रकार के टेक्सेज़ इम्पोज़ करने की व्यवस्था करनी चाहिये। पर इतना कह देने मात्र से कि यदि ओब्लीगेटरी टैक्स इम्पोज़ नहीं किये जाते हैं तो नगरपालिकाओं की हालत किसी प्रकार से ठीक नहीं होगी, मैं समझता हूँ इस प्रकार सोचने में हम एक भयंकर भूल करते हैं। नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति क्यों खराब होती है, इसके मूल कारण की ओर ध्यान देंगे तो यह चीज कभी हमारे सामने नहीं आयेगी कि उसकी हालत सुधारने के लिए केवल मात्र ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ की साधन हैं और कोई चीज नहीं।

जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, राजस्थान में इस समय करीब १४५ नगरपालिकाएं काम कर रही हैं, उन नगरपालिकाओं में १०४ में ओक्ट्राय ड्यूटी लगी हुई है करीब आधी से ज्यादा नगरपालिकाओं में हाउस टैक्स इम्पोज़ किया हुआ है, ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ इम्पोज़ करने की बातें की जा रही हैं, जहां कहीं इम्पोज़ नहीं किये हुए हैं। आज तक जितनी नगरपालिकाओं का काम चला, उनके सम्बन्ध में आर्थिक कठिनाई आई है तो नगरपालिकाओं ने स्वयं ने इस विषय में सोचा कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का कारण जो हमने इस धारा में एग्जेम्पशन रखी हैं उनके कारण हुई है। राजा महाराजाओं को, सरकारी भवनों को, फौज और पुलिस की मोटर गाड़ियों को छूट दे दी है और आगे जाकर किस प्रकार के संशोधन आये हैं, सरकार अगर चाहे आवश्यक समझे तो जो हैं उनमें भी छूट दे दे तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन सारे टेक्सेज़ के न लेने के कारण नहीं बल्कि इन सारी छूटों के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, जब इन सारे मुद्दों पर...

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा संकेत करने पर स्थान ग्रहण)

श्री अध्यक्ष—He has a right to intervene.

श्री भैरोंसिंह—Let him say, Sir.

श्री अध्यक्ष—ये क्लॉजेज़ जो पेश हुए, एग्रीड नहीं हैं ? Are they not agreeable ?

श्री भैरोंसिंह—ओब्लीगेटरी की स्थिति का विरोध कर रहा हूँ साहब।

श्री अध्यक्ष—८ घंटे तक, दो सिटिंग्स तक विरोध हुआ था।

श्री भैरोंसिंह—इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करने से पहले हमारी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुधर सकती है उसको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिये। यदि ऐसी परिस्थिति हो कि टैक्स इम्पोज़ किये बगैर म्युनिसिपेलिटी की हालत सुधर नहीं सकती तो हमें टैक्स लगाने की बात को मन्जूर करना है। मगर यह परिस्थिति छूट देने के कारण ही पैदा हुई है। इसके अलावा और भी छूट देने का पॉवर सरकार अपने हाथ में रखती है।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

इसलिए यह कहना कि जब तक म्युनिसिपेल्टीज़ की आर्थिक स्थिति ठीक न हो जावे तब तक इस प्रकार के ओब्लीगेट्री टैक्स लगाये जाने चाहिये वाजिब नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जिन सेठ साहूकारों और राजा महाराजाओं आदि के··का पालन होता है और जिनमें लाखों रुपया बकाया निकलता है उनको वसूल करने के लिए सरकार या तो मुकदमें करे या दूसरा तरीका निकाले यह सरकार के देखने की बात है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से करना सोशियल पेटर्न के सिद्धान्त से बिल्कुल विरुद्ध है। सेठ साहूकारों को, राजा महाराजाओं को इस प्रकार के टैक्स से मुक्त रखें और गरीबों से इस प्रकार का टैक्स वसूल किया जाय यह वाजिब नहीं है। सोशियल पेटर्न में हमें एक समानान्तर वातावरण का निर्माण करना है और वह ऐसा होना चाहिये कि जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की किसी के विरुद्ध शिकायत करने का अवसर न मिले कि इन इन बातों में सरकार गरीबों और अमीरों में डिसपेरिटी रखती है और इस डिस्पेरिटी के कारण गरीबों पर ज्यादा भार पड़ता है और अमीरों पर कुछ बोझ नहीं पड़ता। नया संशोधन आया है उसमें नीचे लिखा है :

[श्री भैरोंसिंह]

"The State Goverment may, if in its opinion, reasonable gronnds exist for so doing, grant and define, by notification in the Rajasthan Gazette, such exemptions in exceptional cases from payment of a tax leviable under Section 87 or imposed under section 87A or under section 87B as it may consider necessary."

इसलिए मैं यह कहूँगा कि हमने जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने का मूल कारण है उसकी तरफ बिल्कुल चिन्ता नहीं की और कभी भी ध्यान नहीं दिया कि इस मूल कारण का निराकरण करें। हमने तो धारा और बढ़ाकर सरकार को और अधिकार दे दिये हैं कि सरकार आवश्यक समझे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है। मैं यह कहूंगा कि जो सरकार की हां में हां मिलाने वाले सदस्यों की म्युनिसिपेल्टीज़ होंगी वहां पर सरकार इस अधिकार के अनुसार वहां के लोगों को टैक्सों से मुक्त कर देगी और जहां विरोधी दल की या विरोध करने वाले सदस्यों की नगरपालिका होंगी वहां की जनता पर टैक्स लगे रहेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेट्री धारा रखनी ही नहीं चाहिये।

इस एक्सप्लेनेशन के पहले कारण के बारे में सरकार यह कहती है कि राजा महाराजाओं से समझौता हुआ इसलिए इनको एग्जेम्पट किया जावें। उन समझौते के अनुसार उनसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और लाइटनिंग आदि टैक्सों के पैसे नहीं लिए जावें। ठीक है यदि हमने किसी प्रकार का किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है तो इसके बाद भी हमारे पास इसका कोई न कोई चारा रह जाता है। मैं बताऊं कि हम उनके लिए अलग मीटर लगा सकते हैं जिससे कन्जम्प्शन मालूम हो सके और वह कन्जम्प्शन का पैसा सरकार से वसूल कर सकते हैं, इसके अलावा हाउस रेन्ट सरकार से वसूल किया जा सकता है। क्योंकि सरकार के सामने जो ओब्लीगेट्री टैक्सेज़ हैं, वे जनता से वसूल होते हैं और म्युनिसिपेल्टी को तो उन पर यानी राजा महाराजाओं और पब्लिक पर खर्च करना ही पड़ता है, इसलिए वह रकम तो म्युनिसिपेल्टीज़ को मिलनी ही चाहिये। यदि सरकार का इस प्रकार का कोई समझौता राजा महाराजाओं से है तो वह खर्चा सरकार से म्युनिसिपल बोर्ड वसूल कर सकता है। यदि इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती तो ज्यादा अच्छा था मगर ऐसी कोई बात हमने नहीं रखी है। हमने ओब्लीगेट्री टैक्सों की व्यवस्था तो कर दी है मगर सरकार से पैसा लेने के बारे में कोई चेष्टा नहीं की है। इसलिए मैं यह शर्त रखूंगा कि राजा महाराजाओं और दूसरे लोगों के लिए म्युनिसिपेल्टी आदि की तरफ से वहां पर सफाई आदि होती है और उसके लिए जो भी खर्च होता है तो उन पर टैक्स ड्यू होना चाहिये और जितना टैक्स उनके हिस्से का ड्यू होता है वह सारा का सारा जोड़कर सरकार भोगे और नगरपालिकाओं को दे। इस प्रकार के टैक्स नगरपालिकों को भोगना जरूरी नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि राजा महाराजाओं के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिस्से का जो टैक्स ड्यू होता है वह सब सरकार म्युनिसिपेल्टीज़ को दे।

[श्री भैरूंसिंह]

दूसरी चीजें आती है ओब्लीगेट्री के रूप में (१) ओक्ट्रोय, (२) हाउस टैक्स और प्रोफेशन टैक्स।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इन तीनों के बारे में यह सोचना होगा कि इन तीनों का लगाना या इम्पोज करना लाजमी है या नहीं। मैं तो सदन से यह निवेदन करूंगा कि इसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। क्योंकि डेमोक्रेसी में नगरपालिकाओं को स्वायत्त शासन संस्थाएं कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह स्वयं ही धन संचय करे और स्वयं ही उस धन का सदुपयोग करें। उनको धन संचय करने में और संचय किये हुए धन को उपयोग में लाने में किसी तरह का किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो स्वायत्त शब्द का कोई मतलब नहीं रहता। सरकार ने यहां पर ओब्लीगेट्री शब्द रखा है इसका मतलब यह है कि जो धन एकत्रित करने की नीति है उसके अन्दर सरकार का एक प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप है और यदि वहां की नगरपालिका यह नहीं चाहे कि फलां टैक्स नहीं लगे मसलन ओक्ट्राय को बन्द करना ठीक है तो नहीं कर सकेगी। यदि वह समझे कि हाउस टैक्स को नहीं रखना चाहिये या यह कहे कि प्रोफेशन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये तो वह नहीं कह सकती, यदि हम इसको ओब्लीगेटरी रूप में मन्जूर कर लेते हैं तो तीनों चीजें नगरपालिकाओं को मन्जूर करनी पड़ेंगी।

अब आप यह कहें कि हममें इसमें इस प्रकार का प्रोविज़न एड किया है कि यदि कोई म्युनिसिपेल्टी या नगरपालिका यह कहे कि फलां टैक्स पब्लिक से वसूल नहीं करें तो वह प्रस्ताव पास करके सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। यदि सरकार चाहेगी तो उसको स्वीकार करेगी। लेकिन माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक टैक्स न लगाने का प्रस्ताव आता है तो राजस्थान की सरकार कभी भी उसको स्वीकार नहीं करती है और न कभी किया है। मैं तो यह कहूँगा कि सरकार की ओर से इससे बिल्कुल उल्टी चीज जरूर हुई है। म्युनिसिपेल्टी टैक्स लगाना नहीं चाहती थी मगर सरकार ने यह चाहा कि जल्दी से जल्दी टैक्स लगाकर धन इकठ्ठा किया जाये। अगर कोई नगरपालिका यह चाहे कि हमारे यहां हाउस टैक्स ही काफी है और ओक्ट्राय की कोई आवश्यकता नहीं मगर वह ऐसा नहीं कर सकेगी क्योंकि ओब्लीगेट्री शब्द यहां पर आया हुआ है, मैं तो यह कहूंगा कि यह डेमोक्रेसी के लिए कभी भी किसी तरह से शोभा पूर्ण नहीं है, यह तो डेमोक्रेसी की मूल भावना पर आघात पहुँचाने वाली धारा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हमने इस प्रकार की नगरपालिकाओं को छूट दी तो यदि कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पॉवर आ गया तो वह इस धारा का दुरुपयोग करेगा और अपने बहुमत के आधार पर टैक्स लगा सकेगा और यह कहेगा कि हमें सरकार का आदेश है और लोगों को तंग करेगा और उनका खून चूसेगा। उनका माल टैक्स की वसूली में नीलाम करायेगा टैक्स वसूल करेगा। इसलिए ऐसी सूरत में इस प्रकार के अधिकार नगरपालिकाओं को दें या नहीं यह सोचना है। इस प्रकार के अधिकार आज तक इतिहास में नगरपालिकाओं को नहीं हैं। नगरपालिकाओं के आज तक का अनुभव बताता है कि वहां की क्या स्थिति रही है। ऐसी हालत में ओब्लीगेट्री टैक्स को इम्पोज़ करने का जो सिद्धान्त है उसको हटा देना चाहिये।

[श्री भैरूंसिंह]

आगे चलकर कुछ डिस्क्रीमिनेशन रखा है। यह लाजमी तौर से लगाना पड़ेगा और लगा सकते हैं इसमें अन्तर क्या है। मैं तो यह कहूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य जनता के चुने हुए आते हैं और सरकार को चाहिये कि टैक्स लगाने का भार उन पर ही छोड़ देना चाहिये। वे नगर के चुने हुए होते हैं और वहां की परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफकार होते हैं। यदि वे ऐसा महसूस करें कि कौन सा टैक्स यहां पर लगाना चाहिये, यह उनकी आमदनी के लिए ठीक है, वह वहां की हालत पर निर्भर है और उसी को देखते हुए निर्धारित किया जा सकता है जिससे किसी गरीब पर ज्यादा बोझ न पड़े और अमीर बिल्कुल छूट जाये। मगर जब हम इस क्लॉज़ में ये बातें रख देते हैं तो वे मजबूर होकर इसके विपरीत बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको इस प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह हमारा एक प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप होगा।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां डिस्क्रिशनरी के सिद्धांत को स्वीकार किया है वहां हम ओब्लिगेटरी के सिद्धान्त को कभी भी स्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं हो सकते। हमें डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपिल्स को ज्यादा मजबूत बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये और डिस्क्रिशनरी पॉवर्स को ज्यादा महत्त्व देना चाहिये। यदि डिस्क्रिशनरी पावर्स म्युनिसिपल बोर्ड्स को होंगे तो म्युनिसिपल बोर्ड यह सोचेगा कि अपनी आर्थिक स्थिति खराब है उसको ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है, वह अपने खर्चे के बारे में और आमदनी के बारे में सोचेगा। उसके स्वयं के सोचने के बाद यदि वह किसी निर्णय पर पहुंचता है कि फलां फलां टेक्स इम्पोज़ किये जांय ये जो तीन टेक्स इम्पोज़ किये गये हैं उन तीनों के बारे में मैं थोड़ा विश्लेषण करना आवश्यक समझता हूं। इन टेक्सेज़ का गरीब जनता पर किस प्रकार से असर पड़ने वाला है।

ओक्ट्रॉय ड्यूटी के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को लेकर यह कहा जाता है कि यह तो टेक्स आखिर में जाकर कन्ज़्यूमर पर पड़ता है, । मैं इस टेक्स के बारे में यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे से कस्बे में नगरपालिका हैं उस नगरपालिका से काश्तकार लकड़ी या बीज लेकर आता है या घी का बर्तन या दूध लेकर आता है उस पर ओक्ट्रोय के नाम पर टेक्स इम्पोज करके वसूल करना पड़ेगा। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इकोनोमिस्ट की यह थ्योरी है कि आखिर में यह जाकर कन्ज़्यूमर पर पड़ता है, मैं भी इस बात को किसी हद तक मानने के लिये तैयार हूं। दूध अगर शहर में आता है तो उस पर टेक्स लगता है अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो इस प्रकार दूध या घी पर टेक्स लगेगा वह कन्ज़्यूमर पर पड़ेगा तो वह एक या दो पैसा वसूल करेगा। लेकिन जहां तक मार्केट वेल्यू का प्रश्न है वह एक दो पैसे पर नहीं रहती कॉमन रूप के अन्दर मार्केट वेल्यू होती है वह सारी की सारी समान रूप से रहती है। ओक्ट्रोय के कारण, टेक्स के कारण मार्केट वेल्यू बढ़ जाय ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। छोटे २ गरीब लोग जो बेचारे दूध, लकड़ी या घी बेचकर आसानी से जीविकोपार्जन कर लिया करते थे शहरों में आकर उनके ऊपर इस ओक्ट्रोय ड्यूटी के इम्पोज़ करने के कारण वे इस प्रकार के फायदे से वंचित रह जायेंगे।

[श्री भैरोंसिंह]

दूसरा टेक्स है हाउस टेक्स, जो हमने लाजमी तौर से इम्पोज़ किया है। कुछ मकान शहरों या कस्बों में ऐसे हैं जो किसी प्रकार की आमदनी नहीं देते। इस धारा में जो प्रोवीज़ो है उस प्रोवीज़ो से एन्युअल लेटिंग वेल्यू किसी शहर में १२० रुपये और बाहर दूसरे कस्बों में ६० है उनके ऊपर टैक्स इम्पोजनहीं होगा। मैं इस सम्बन्ध में एक विशेष दृष्टिकोण सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, गांवों के अन्दर कई ऐसे मकान हैं और शहरों में भी ऐसे कई मकान हैं जो बिल्कुल अन प्रोडक्टिव हैं, जो गिरने वाले हैं जैसे मसलन बाहर के गांवों में जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि जिन जागीरदारों की हमने जागीरें ली हैं उनके गढ़ ऐसे हैं उनमें ऐसा है कई बरसों से कोई आदमी नहीं रह रहा है, अगर उसकी लेटिंग वेल्यू लेकर आसपास का मुकाबला करें तो उसका मतलब यह होगा जागीरदारों को जो रिहेबीलिटेशन के लिये कम्पेनसेशन दे रहे हैं वह सब इस जगह चला जायगा, हाउस टेक्स के नाम पर वह सब वसूल किया जाने वाला है। अगर हम जनरल वे में इसको इम्पोज़ करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि कई लोगों की जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं, एक आदमी भी नहीं रहता, लेटिंग वेल्यू से ही हम वसूल करने लगेंगे तो ऐसे मकान जिनमें एक भी किरायेदार नहीं रहता, जो मकान कोई किराये पर लेने के लिए तैयार नहीं, जिसकी आमदनी इतनी भी नहीं होती कि वह उसको ठीक प्रकार से रख सके। अगर उस पर भी ओब्लिगेटरी हाउस टैक्स इम्पोज़ किया गया तो इसका मतलब यह होगा कि बेकार मकान पर भी हाउस टेक्स इम्पोज़ होगा, आप उसकी लेटिंग वेल्यू कितनी निर्धारित करदें वह अनप्रोडक्टिव है फिर भी उस पर टैक्स लागू करना यह गरीबों के साथ एक प्रकार से अन्याय होगा। आप रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ आदि में जाकर देखिये जहां बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं, वहां के लोग आसाम और बंगाल में जाकर व्यापार करते हैं। वहीं पर रहते हैं। उनके मकान खाली पड़े हैं जिनमें कोई किरायेदार नहीं रहता, अगर हम लेटिंग वेल्यु के आधार पर टेक्स लेने लगे तो उनको भी हाउस टेक्स देना पड़ेगा, यह उनके लिए एक विशेष प्रकार की परिस्थिति होगी, या तो उनको लाजमी तौर से किराया देना होगा अगर उसको किराये नहीं देते हैं खाली मकान का भी हाउस टेक्स देना पड़ेगा। जहां ऐसा प्रश्न बड़े बड़े मालदारों के लिए आता है उनके ऐसे मकानों पर सरप्लस करों को यदि गरीबों में बांट दिया जाय या उन पर हाउस टेक्स इम्पोज़ किया जा सकता है तो इसमें मुझे एतराज नहीं है, इससे म्युनिसिपलिटी की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि इन अमीरों के साथ साथ गरीब कितने मारे जायेंगे।। अगर यह मान लिया जाय कि १०० अमीरों के साथ अगर दस गरीब भी मारे जाते हैं तो निश्चित रूप से कहूंगा उन दस गरीब आदमियों की रक्षा के लिए हमें वैसी व्यवस्था करनी चाहिये। हमने इसमें रिटन ओफ वेल्यू का प्रोविजन रखा है, ऐसी सम्पति जिसकी किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है उस पर न किसी प्रकार का हाउस टेक्स ही लगना चाहिये जिस मकान से किसी प्रकार की कमाई नहीं होती है उस आदमी पर हाउस टेक्स इम्पोज़ नहीं होना चाहिये। इस धारा के ऊपर सदन में चर्चा हुई उसमें यह बताया गया कि जिस परिवार की आमदनी १२०० रुपये साल से कम हो हम उस पर किसी प्रकार का टेक्स इम्पोज़ नहीं करेंगे, प्लानिंग कमीशन

[श्री भैरोंसिंह]

ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हर आदमी की १२०० रुपये साल की आमदनी होनी चाहिये। अगर हमारी सरकार इस बात को भी इस बिल में रखती कि १२०० रुपये से कम की आमदनी वाले पर हाउस टेक्स इम्पोज़ नहीं होगा तो भी हम सरकार का स्वागत करते और इस कानून बनाने वालों का स्वागत करते। इस प्रकार से डिस्क्रीमिनेशन न होते हुए हर आदमी की चाहे जितनी आमदनी हो, चाहे एक पैसे की आमदनी हो या एक लाख रुपये की आमदनी हो यह टेक्स लाजिमी तौर से इम्पोज़ होगा इस पर मुझे विशेष प्रकार से आपत्ति है।

ओब्लीगेटरी टेक्स के अलावा जहां प्रोफेशनल टेक्स का सवाल आता है, उसमें यह कहा गया है वकील इसमें आयेंगे, डाक्टर्स आयेंगे, वैद्य आयेंगे, छोटे छोटे दवादेने वाले भी आयेंगे वकीलों और वैद्यों पर टेक्स लगता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, यदि कमाई करने वालों पर कोई टेक्स लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आर्टीज़न्स के नाम पर जो एक्जेम्प्शन दिया गया है वह ठीक नहीं है। आर्टीज़न्स में कौन कौन आयेंगे क्या इसमें हलवाई, जूते बनाने वाले, दर्जी वे उसमें आयेंगे या नहीं। इन एक्जेम्प्शन की सूची हमारे सामने नहीं है और न इस कानून में शिड्यूल आदि की भी व्यवस्था है, यह कानून बनाने में एक प्रकार से कमी है पहले आपको लिस्ट तैयार करनी चाहिये कि कौन कौन से प्रोफेशन्स ऐसे हैं जिन पर टेक्स नहीं लगेगा। तीसरा इसमें इस बात का अभाव है कि आर्टीज़न के नाम पर चाहे किसी को दो रुपये की आमदनी हो चाहे, दस रुपये की आमदनी हो प्रोफेशन के नाम पर टेक्स इम्पोज़ करेंगे तो वैसी सूरत में हमें यह सोचना चाहिये कि हमारी इस कमी के कारण से इसमें शिड्यूल निर्धारित न करने से हमें यह मालूम नहीं हो सकता कि किन किन को टेक्स से मुक्त करना चाहते हैं और कौन मुक्त होंगे या नहीं। इस प्रकार से टेक्स इम्पोज़ करके जहां हम हकीमों, डाक्टरों और वैद्यों पर टेक्स इम्पोज़ करते हैं इन सब को एक श्रेणी में आकर टेक्स का भार वहन करना पड़ेगा। जिन लोगों के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है इस कानून में मैं समझता हूं कि सरकार भी इससे सहमत होगी। बंबई, पेप्सू, पंजाब ऐसे स्थान हैं जहां पर ओब्लीगेटरी टेक्स इम्पोज़ किया गया है वहां पर सब चीजों की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि कौन कौनसी चीजें ऐसी हैं जिन पर इस प्रकार का टेक्स इम्पोज किया जायगा और कौनसी ऐसी चीज है जिनको टेक्स से मुक्त किया जायगा, किस धन्धे पर टेक्स लगेगा, किस धन्धे पर नहीं लगेगा, किन पर लगना चाहिये लेकिन जहां जिस चीज का अभाव है उस सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि वह लिस्ट जब तक हमारे सामने नहीं आतो तबतक हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम उस पर अपनी राय प्रकट कर सकें। पर जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है ओब्लीगेटरी टेक्स इम्पोज़ करना प्रतिगामी है, अनडेमोक्रेटिक है। इसलिए इसको अस्वीकार किया जाय। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह क्लॉज़ ८५ और ८७ में जो बापना साहब ने अमेंन्डमेंट रक्खा है और श्री त्रिवेणीश्यामजी ने जो इसमें जो संशोधन रक्खा है उसका मैं विरोध करता हूं।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सरकार टैक्सों पर टैक्स लगाती जा रही है। उसका पेट नहीं भर रहा है और लोग इन टैक्सों के मारे परेशान हैं सुबह से शाम तक।

माननीय चेयरमेन, पहले भी मैंने क्लॉज़ ८७ पर बहस के सिलसिले में सरकार से निवेदन किया था कि हाउस टैक्स १२ सौ रुपये से अधिक की आमदनी वाले पर ही लगे; नीचे की आमदनी वालों को आप छोड़ दो। लोग फिर टैक्स लगे इससे परेशान नहीं होते जितने उनको देने में पचासों झगड़े जो होते हैं जिनमें उसका सारा दिन कई दिन बेकार चले जाते हैं, काम काज करके कमा खा नहीं सकता पूरी तरह से।

चेयरमेन महोदय, मैं अपनी बीती बात कहता हूँ कल की बात है। ऑफिस में मेरे को एक रजिस्ट्रेशन कराना था। ऑफिस ने मुझे काफी देर बिठाये रक्खा, काफी समय मेरा नष्ट हुआ, मेरे जैसे आदमी से भी रिश्वत मांगने के लिए एक वकील तैयार हो गया कि वहां के क्लर्क को देनी है।

श्री तेजमल बापना—वकील फीस मांगता होगा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरी बात तो सुन लीजिये। फीस का सवाल नहीं था वह तो ऑफिस में देना था क्लर्कों को। फिर रजिस्ट्रार साहब समय होते हुए भी साफ इन्कार हो गये। मरीज की हालत खराब थी, डाक्टर का सर्टीफिकेट होते हुए भी इन्कार कर दिया। पर वह तो मेरे जैसे आदमी की बात थी, कलेक्टर से लिखवा कर ले आया और उसको जाना पडा। पर दूसरे आदमी मैंने देखा पचासों वहा बैठे थे सुबह से शाम बल्कि कई दिनों से चक्कर लगा रहे थे पर उनको साफ इन्कार कर दिया गया। यह हालत जब हमारे अफसरों की है, आफिसरों की और क्लर्कों की है और इस हालत के रहते हुए आप टैक्स पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो तो बेचारी जनता का क्या हाल होगा, कितना समय उसका व्यर्थ में बरबाद होगा, कितना भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चलेगी इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं। और फिर आप भी तो जनता के ही आदमी हैं। मेरे जैसा आदमी तो जो अकेला है, रोटी भी दूसरों के यहां खाता है वह तो टैक्स देगा देगा पर आप के बाल बच्चे होंगे वे आगे चलकर क्या कहेंगे कि हमारे बाप ने क्या टैक्स लगा दिया है कि जिनका फल आज हमें भोगना पड रहा है। आज हम भी एम. एल. ए. हैं, मिनिस्टर हैं कल नहीं रह सकते हैं। फिर हमें मालूम पडेगा कि जनता हमें किस नजर से देख रही है।

हम चाहते हैं कि सारा हिन्दुस्तान खुशहाल हो जावे। पर यह दिन पर दिन टैक्स डि॰ बोर्ड का टैक्स, पंचायत का टैक्स, सेल टैक्स, इन्कम टैक्स, ओक्ट्रॉय टैक्स और और भी कई

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

तरह के टैक्स। और इसका पैसा भी आप जनता में ही खर्च करना चाहते हैं उसकी भलाई के लिए। पर जब जनता कहती है कि हमारे पर पैसा खर्च मत करो। मामूली सा टैक्स लगाकर जिसको हम बरदाश्त कर सकें लगाकर जितना सुविधा उससे दे सकते हो दे दो। आज तक भी हम हजारों लाखों बरसों से खुश हाल चले आ रहे हैं कोई टैक्स नहीं लगाये गये थे। पर आज जब आप दिन पर दिन टैक्स लगाते हो तो हम परेशान होते हैं दिन भर। आप एक काम कर लें कि साल भर में एक बार टैक्स के रूप में इतना रुपया लेंगे। तो एक आदमी को साल भर में टैक्स देने के लिये दो तीन दिन परेशानी होगी, दो तीन दिन खरच करने पड़ेंगे। यह तो नहीं कि आज कोई टैक्स किसी महीने में पडता है तो उसकी चिन्ता करो, कोई टैक्स किसी महीने और तारीख में पडता है, कोई किसी दिन पडता है तो कोई किसी रोज उनके पीछे हैरान होओ और अपने दिन खराब करो। तो फिर आप ओब्लीगेटरी टैक्स लगा रहे हैं इसमें तो और भी परेशानी होगी। तीन रुपया का लाइसेंस सप्लाई का लेने में सौ रुपया रिश्वत का देना पडता है और सौ रुपया रिश्वत देने के बाद भी उसके पीछे दस दिन खराब करने पडते हैं। तो ऐसी हालत में जब मेरे जैसे आदमी को भी कई दिन खराब करने पडते हैं और रिश्वतखोरी का सामना करना पडता है तो और जनता को तो कितना परेशान रात दिन रहना पडेगा इसका अन्दाज लगा सकते हैं। और फिर ऐसा भी तो नहीं है कि कोई आदमी जाकर घर पर रसीद दे दे और कह दे कि यह रसीद लो और यह टैक्स दे दो। ऐसा भी न हुआ न होने वाला है ताकि इससे भी लोगों को समय तो बरबाद नहीं करना पडे।

इसके बावजूद फिर आप क्या कर रहे हैं? इन राजा महाराजाओं को टैक्सों से छूट दे रक्खी है। अगर एग्रीमेंट है तो भारत सरकार का हो सकता है। म्यु० का तो नहीं है। जैसे यह लोग रेल का किराया देते हैं, टेलोफोन-तार आदि का पैसा देते हैं तो उसी तरह से जिस म्यू० एरिया में वे रहते हैं और जहां उनके मकान आदि हैं तो वे सारे टैक्स उनपर भी लगना चाहिये, पानी बिजली का खर्चा भी उनको लगना चाहिये। अगर भारत सरकार या राजस्थान सरकार चाहती है कि न लगे क्यों कि उनका कोई उनसे समझौता है तो जितना रुपया वे आज उनको देते हैं थोडा और दे दें पर म्यू० का टैक्स तो उन पर भी लगना चाहिए जैसे और लोगों पर लगता है, इस में म्यु० का क्या कसूर है ? संविधान में सब को बराबर हक दिया है। अगर आप उनसे वसूल करने का हक नहीं देते तो म्यु० को तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि म्यू० को आप लोन देंगे वह तो वसूल कर लेंगे पर आप ध्यान नहीं देना चाहते। तो यह तो नहीं होना चाहिये। म्यू० को क्यों नुकसान होना चहिये ? सरकार अगर उनसे नहीं दिलवाना चाहती तो उनको सालाना जो आज दिया जा रहा है वह थोडा और बढा दिया जावे और यह कहदिया जावे किम्यू०के टैक्स आप दो, यह हम तुम्हारा सालाना बढा देते हैं। और जब म्यू० को नुकसान होता है और मेरे को यह पता भी नहीं कि इस टैक्स में म्यू० माने या नहीं। मैंने कहा मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा था कि जिन राजाओं के मकान म्यू० एरिया में हैं और जिन में वे रहते हैं वे तो ठीक हैं जिनका किराया लेते हैं राजा लोगों से तो उन पर कम से कम टैक्स वसूल करना चाहिये।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

परन्तु जो राजा लोग मकान किराये पर देते हैं या जागीरदार लोग या कोई भी तो उनके ऊपर तो कम से कम टेक्स वसूल होना चाहिए और मेरी समझ में वह टेक्स का अमेंडमेंट आया कि नहीं मैंने तो कहा था ....

श्री सभापति—जो आपकी समझ में नहीं आये उस पर नहीं बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—समझ में तो आ गया। मैंने जो मीटिंग हुई थी उसमें बताया था कि वह अमेंडमेंट में आया कि नहीं मेरे को कुछ पता नहीं। मेरा यह सुझाव था कम से कम कि उस टेक्स को म्युनिसिपेलिटी पर छोड दें ज्यादा अच्छा होगा।

आज प्रोफेशन में जिस तरह का ओब्लीगेटरी टेक्स लगाना चाहते हैं, माननीय चेयरमेन, वह उसके अन्दर, तो जो प्रोफेशन करने वाले के ऊपर कुछ भी टेक्स नहीं लगेगा। वह टेक्स लगेगा दूसरे आदमी के ऊपर। एक वकील के पास एक मवक्किल आयेगा तो वकील तो देगा ४,५ या १० रुपये लाइसेन्स के लेकिन वह मवक्किल से ५०,२०० या ५०० रु० लेगा। यह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि यह गला किस का कटा, गरीबों का, वकीलों दूसरे वैद्यों के ऊपर या डाक्टरों के ऊपर किसी के ऊपर टेक्स लगेगा तो वे कहेंगे भाई लाइसेन्स की फीस देनी पड़ती है इसलिए हम तो इतनी फीस और वसूल करेंगे। यह सब लोग जो हैं वे पैसा जनता से वसूल करेंगे तो फिर ज्यादा पैसा वसूल करेंगे, माननीय चेयरमेन। और ज्यादा पैसा वसूल करने से आज जनता के ऊपर धीरे धीरे २ जितने टेक्स लग रहे हैं उनसे ही जनता आज इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, उससे ज्यादा दुखी हो जायगी। आज भी वे कहते हैं कि प्रजातन्त्र में सुख होना चाहिए, परन्तु दुख हो गया। टेक्स आप मत लगाओ। यह टेक्स लगाया, वह टेक्स लगाया। एक साल में ऐसा कह दिया जाय कि तुमको इतने रुपये की इन्कम हैं और इतना रुपया दे दो तब तो वह बात ठीक है, परन्तु कभी कौन सा टेक्स कभी कौन सा टेक्स लगाते हैं तो, माननीय चेयरमेन, जो ओब्लीगेटरी लगा रहे हैं वह पूरा ही खराब है, और इस टेक्स से सारी जनता परेशान हो जायगी। और उस जनता के अन्दर जो आज सरकार शासन कर रही है उस सरकार के प्रति जो कुछ उनकी सद्भावना है वह उल्टी उनके विपरीत हो जायगी। जो मेरे कई दोस्त हैं इस सदन के बैठने वाले वह यह चाहते हैं कि ओब्लीगेटरी टेक्स लगाये, परन्तु उनको यह मालूम नहीं है कि वह जो लोग चाहते हैं वह कैसे लोग हैं। वे खुद ही अइयाशी करने वाले लोग हैं। वह चाहते हैं कि अगर टेक्स लगेगा तो लगेगा हम भी दे देंगे थोड़ा घना। परन्तु मिठाई बेचने वाले, पान बेचने वाले और छोटी मोटी चीजों के करने वाले हुए जैसे दर्जी हुए, लकड़ी का काम करने वाले हुए, फर्नीचर वगैहर के, और भी जो छोटे छोटे काम करते हैं, और जो काम करने वाले हैं उन पर तो वह नहीं लगकर जो बेचते हैं उनके ऊपर से टेक्स वसूल करेंगे, तो ऐसी हालत में वे लोग इतने परेशान होंगे, इतने दुखी होंगे और हर आदमी परेशान होगा। और बहुत से काम करने वाले आदमी हैं वही पहले के टेक्स, सेल्स टेक्स से परेशान हैं।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

कि कितने बही खाते रखने पड़ते हैं । पंडितजी ने ३, ४, दिन पहले स्पीच दी है कि बड़ी २ मेगेनीज़ यूरेनियम और दूसरे आयरन-ओर तथा दूसरी चीजें हैं वह अपनी सरकार नेशनेलाइज़ कर रही है, उसके अन्डर में ले रही है और जनता का काफी फायदा कर रही है भारत सरकार तो आप इस तरह से छोटे छोटे टेक्स लगा कर फिर परेशान क्यों करें ? जनता उससे बहुत परेशान होगी। इसलिए यह जो अमेंडमेंट बापना साहब ने रखा है वह उनको वापिस ले लेना चाहिए । और मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस बात से हर गांव का आदमी, हर सिटी का आदमी परेशान हो जायगा और इतना दुखी हो जायगा । और इसके बारे में माननीय मंत्रीजी को इसको लगाना भी है तो वह लिस्ट प्रोवाइड कर हाउस के एम. एल. एज़. की मीटिंग करें उन्हें ज्यादे से ज्यादा तादाद में बुलाएं और उसके बाद में उसके बारे में सोचें। फिर उसके बाद में उस टेक्स को लगाना चाहिए, नहीं तो, माननीय चेयरमेन, इस तरह से अगर टेक्स लगाया जायगा तो बड़ी परेशानी होगी और टेक्स के जरिये से बुरी हालत होगी। जनता की, निचली श्रेणी की हालत खराब है । उनके पास कोई मकान नहीं है उनकी हालत खराब है । उस हालत को देखते हुए टेक्स नहीं लगाना चाहिए।

माननीय चेयरमेन, उस दिन फलड आगया था जयपुर सिटी के अन्दर । उस चीज़ का इन्तजाम नहीं किया है । कितने पुराने मकान हैं उनका सर्वे करें । पुरानी जायदाद कहां टूटी हुई है उनको सुधारना चाहिए या नहीं सुधारना चाहिए या उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए । वे म्युनिसिपेलिटी के अन्डर में आने चाहिए और म्युनिसिपेलिटी उनका इन्तजाम करे । परन्तु यह जो टेक्स लगा रहे हैं, यह जो चीज़ लगा रहे हैं वह लोगों की परेशानी के लिए है । आधा किराया दे और आधा नहीं दे । यह जमीन दे देना चाहिए कि जिससे लोग खुशहाली करें । आप सुविधा की चीज़ नहीं मगर दुविधा की चीज़ करना चाहते हैं । माननीय चेयरमेन, गांवों में मन्दिर होंगे उन पर कैसे टेक्स लगायेंगे ? जो सरकार की स्कूल बिल्डिंगें हैं और हास्पिटल हैं सरकार के उनके ऊपर क्यों टेक्स नहीं लगाया जाय ? सरकार की जितनी बिल्डिंग्स हैं राजस्थान के अन्दर उनके ऊपर टेक्स लगना चाहिए ।

(घंटी)

माननीय चेयरमेन, उनके ऊपर टेक्स नहीं लगता है तो इतने छोटे छोटे टेक्स लगाकर म्युनिसिपेलिटी हर आदमी को परेशान करेगी । यह जो ओब्लीगेटरी टेक्स लगा रही है सरकार म्युनिसिपेलिटी के लिए उससे म्युनिसिपेलिटी का ज्यादा फायदा हो वह नहीं होगा, और शायद सरकार इस तरह से जो म्युनिसिपेलिटी के एरिया में बिल्डिंग्स हैं, राजाओं की बिल्डिंग्स हैं उनका और सरकार टेक्स दे दे तो इतनी रकम हो जायगी कि उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और म्युनिसिपेलिटी के जितने काम बाकी हैं वे हो जायेंगे । इस टेक्स को लगाने से कोई फायदा नहीं होगा । मैं मंत्रीजी

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को इस अमेंडमेंट को डेफर कर दिया जाय और इसके बारे में सोचा जाय, और इसके बाद में इस क्लॉज़ को हाउस के अन्दर लेना चाहिए और फिर पास करना चाहिये। मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री श्रीमानसिंह— Mr. Chairman, Sir, the problem of rehabilitating the Municipal Board is a hydra-headed problem. It has remained so since the very origin of the local self- Government and uptil this day. This problem has been accentuated and increased by the financial division of our fiscal resources into federal and states list and the reluctance of the State Governments to share the proceeds of certain taxes. This has left the localbodies with resources which are unproductive, inflexible and regressive in nature, while they are innumerable. I will not be far wrong if I say that this nuisance of local taxation has become a veritadly table new jungle. Moreover, Sir, with the progress of science and the development of industries which has led towards a trend to Urbanisation has brought about a higher standard of living. The implication of higher standard are increasing demand on Municipal Board for social services, while the functions of the municipalities multiplied by leaps and bounds. Their resources lagged behind. Previously there was no objection to the levying of taxation because they were very few with law incidence. Moreover the people did not have a forum to ventilate their grievances. But after the world war II and with the achievement of independence with our backward economy the taxes have multiplied and the resources have not, so any new proposal for fresh taxation or any change in old one is met by the disapproval of the people. But Sir, on the other hand there is poverty, ignorance and disease. These giants have to be faught. The battle against them has to be won. These two paradoxes apparantly are very difficult to combine. On the one hand the persistent demand for increasing social services and on the other hand the opposition with tooth and nail to the levy of fresh taxation. The Municipal Boards can only combine these two paradoxes if either thay reduce their services and if Sir, this happend, the Hon'ble Member will not agree, for one can easily visualise the state of affairs when our park streets became heaven for criminal activity taking heavy toll of human life. The second alternative is to increase their resources. Their present resources are through taxation, business enterprise or from fees and grant-in-aids. I have already said and stated before the House that these resources are insufficient, unproductive and are or regressive nature. They lead not very far. Secondly the unwillingness. Nay the shyness of local representatives to levy taxes for higher standard or living or to search for fresh revenues. The budding

[श्री श्रीमानसिंह]

politicians make promises for ever increasing the standard of the social Services and further more they make unflinching stand firm as a rock against increase the taxation. Against these the provision that makes taxes obligatory on the municipal board is welcome. Though I am one who believes that this obligatory principle militates against the principle of no taxation without respresentation. But, Sir, in the present circumstances and viewing the policy of the local bodeis in our present political set.up, we have to accept it as necessary evil, so that the local bodies may play their vital role in the national regeneration-

There is an objection that was leveied against the obligatory taxes, is that that they will cripple local initiative, enterprise. talent and knowledge. But, Sir, if we go through this whole bill, we find that there is a great latitude in certain administrative matters. In the field of finance the local bodies are free in matters of expenditure. Thus their local talent, knowlebge and enterprises can have free play in these respect. Taking in view the organic nature of the relationship between the State and the local institutions, both working for the organised life and happines and welfare of the community as a whole. But Sir,certain taxes have not been made obligatory on the municipal bodies by the State, we have obligatory restricted their progress. We have not made entertainment tax obligatory. Not only the entertainment tax but also the tax on vehicles. Because out main problem is of rehabilitating the local finances, Therefore, I will further suggest the lay of special assessment in case of those who have benefited by any improvement from municipal services. or have derived any benefit. Not only this, Sir, tax any property increasing the value, I suggest these taxes should have been incorporated and made obligatory taxes for municipal bodies to levy. Our main aim is socialistic pattern of society for the greatest good of the greatest number and thus we can achieve it only if we lay the heaviest burden on the brodest shoulders. Therefore, the levy of house tax, I would personally appreciate the leavy on capital value of buildings instead of annual rental letting value as suggested because the purpose is leving annual rental letting value is to tax the owners of the land and buildings and hence a measure of the ability of the owner to pay. But the annual rental letting velue is calculated speculativly it is a hypothetical payment by a hypothatical tent to the hypothetical owner. Therefore, the capital value that is the building worth in the market is a real thing that can be easily calculated and this system of taxing the owner is followed in America, Australia, Canada and Newziland. But Sir, there has been a great hue and cry against vocation and profession taxes. I would put it simply that local taxes must have local origin. It must have a local basis, a local incidence. It must be used locally. A local tax should not unnecessarily exaggerated the disparties of wealth. Keeping in view these things, those characteristics of good local taxes, I with all the emphasis at my command say taxes

[श्री श्रीमानसिंह]

on vocation and profession are in adeherence to all these principles. Some people taking it as a burden affecting personally criticise this, Sir, but they did not criticise, the much condemed octrio or that the taxes poorest cultivator in Rajasthan is paying like betterment levy when on his uneconomic hoiding he is paying land revenue. When an agriculturist with little income is paying agricultural tax; all the repur-cussions of this heavy taxation on the farmer is the result that today there are arrears of land revenue. The poorest is sacrificing and I will not be far wrong if I say that in this country so many are contributing and sacrificing for the maintenance of comforts and luxuries of so few. There my hon'ble friend did not come out with a criticism but now they say that the taxation on vocations and professions is detrimental. Though a tax is indirect or though a tax is direct and follows the principle of good local taxation, yet it has been criticized. Theretore, I humbly submit that tax on vocations and profossions is a good tax and it is good that it has been made obligatory on the municipal boards. It's burden falls on those who can easily contribute towards the maintenance of social services in municipal towns. But, Sir, this does not mean that I lend my support to the obligatory octroi tax. This is a tax which falls heavily on the poor. It is a tax of regresive nature, if in short I say here again, that so many are contributing for the comforts and luxuries of so few. Therefore, this tax should be made voluntary.

In the end, sir, I cannot help but advising the State Government that since our problem is of rehabilitating all the local finances, it is good that we have made these taxes obligatory. But this tax will not go far and will not make local bodies play the role that we wish them to play. It is very essential, therefore, that the State, as a friend, philosopher and guide of the local bodies must pursue a liberal policy by liberalising its policy which aims at encouraging business undertakings by the boards which they are at present shy to undertake. Not only this Sir, there are certain taxes the sole proceeds of which are not shared by the Government. The first, is the Sales Tax, the second is Stamp Duties, the third is Judicial Fee and the fourth is the income from Moror Vehicles Taxation. These incomes must be shared between the State and the Local Bodies, It is only then that through obligatory taxation and a share in such revenues that we will place the local bodies on a sound footing and then only they will be able to discharge their duty fully and render social services of a high standard.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I also rise to make a few observations on the section which is under discussion before the House.

एक माननीय सदस्य—हिन्दी में बोलिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—In deference to the wishes of some hon'ble members I shall now speak in Hindi.

[श्री विश्वम्भरनाथ]

इस क्लॉज़ में यह तय किया जा रहा है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स को लाजमी तौर से कुछ टैक्स लगाने होंगे जिनको लगाने के लिए ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ में रख रहे हैं और ऐसे तीन टैक्सेज़ हैं और वे हैं हाउस टैक्स, ऑक्ट्राय और प्रोफेशन्स पर लगाये जाने वाले टैक्स। हम भली भांति परिचित हैं कि हमारे प्रान्त में खास तौर से स्वायत्त शासन संस्थाओं और उनमें भी खास तौर से म्युनिसिपल बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे अपने (ओब्लिगेटरी) आवश्यक कार्य हैं सफाई, रोशनी आदि के उनको भी नहीं कर पाते हैं। बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे हैं जो सफाई रोशनी आदि आवश्यक जन सेवाओं के लिए भी प्रबन्ध नहीं कर सकते। मेरी मान्यता है कि यदि हमको स्वायत्त संस्थाओं को पब्लिक की सेवा के योग्य रखना है तो हमें उनको इतना मजबूत जरूर बनाना चाहिये कि वे उस स्थान के नागरिकों के लिए मुख्य सुविधाओं को उपलब्ध कर सकें। केवल नाम मात्र की म्युनिसिपेलिटीज़ रखने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो जनता के पैसों का दुरुपयोग होगा। आर्थिक अभाव के कारण यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड सफाई का इन्तजाम ठीक तरह से नहीं कर सकेगी तो नतीजा यह होगा हर मोहल्ले में कूड़े करकट का ढ़ेर जमा होगा और उसका वहां के रहने वालों पर खराब असर पड़ेगा और संक्रामक बीमारियें जैसे प्लेग आदि फैलेंगे और हमारे यहां के हजारों आदमियों को मौत के घाट उतरना पड़ेगा। यह सब आर्थिक कठिनाई के कारण होगा। स्टेट वेलफेयर यदि आइडियल को लेकर चलता है तो यह आवश्यक होता है कि स्वायत्त शासन संस्थाएं जो सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कर रही हैं वे क्या क्या हैं, पर्याप्त हैं या नहीं, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, वहां टैक्स वसूल होते हैं या नहीं, ये बातें देखी जानी चाहिये। हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसी मनोवृत्ति रही है कि कुछ में टैक्स लगाने से असंतोष होता है। कुछ लोग इसमें बढ़ावा देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। कुछ लोग यह देखते हैं कि असंतुष्ट लोगों के साथ सहानुभूति दिखलाकर आम नागरिकों की सहानुभूति और लोक प्रियता प्राप्त कर सकें। बहुत से सदस्य जो म्युनिसिपेलिटी के लिये खड़े होते हैं और राजनैतिक दायरे में आते हैं उनका यह ध्येय रहता है कि वे किस प्रकार से चीप पोपुलेरिटी, सस्ती लोक प्रियता प्राप्त करें। कुछ लोग इस ख्याल से भी टैक्स लगाना पसन्द नहीं करते कि इससे शायद जनता नाराज हो जायगी और आगामी म्युनिसिपल चुनाव में वोट नही मिलेंगे, उनकी हार हो जायगी और उनके पोलिटिकल केरियर पर बड़ा असर पड़ेगा। इस कारण से वे टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे लोन येन केन प्रकारेण अपना टर्म खत्म करना चाहते हैं। इस कारण से म्युनिसिपेलिटीज़ पंगु बनी रहती हैं। सफाई, रोशनी आदि के प्राइमरी फंकशन्स भी पूरा नहीं कर सकती हैं। दूसरे प्रान्तों में म्युनिसिपेलिटीज़ की खुद की प्राथमिक पाठशालायें होती हैं, खुद की डिस्पेन्सरीज़ होती हैं, चिकित्सालय चलते हैं, मेटरनिटी होम्स, शिशुपाल केन्द्र आदि चलते हैं। और भी कई ऐसे फंकशन्स हैं जिनको म्युनिसिपेलिटीज़ को अपने हाथ में लेना चाहिये लेकिन उनको ले नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी म्युनिसिपेलिटीज़ के पास आर्थिक साधनों का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में कभी म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्य हिम्मत नहीं कर सकते कि टैक्स वसूल करने के लिए ऐसा ऐसा कोई कदम उठाया जाय। टैक्स हर हालत में लागू होना चाहिये, इससे म्युनिसिपेलिटीज़ की आमदनी बढ़ जायगी। वे सदस्य जो सस्ती लोकप्रियता के कारण लोगों से भय खाते हैं और टैक्स लागू करने में

[श्री विश्वम्भर नाथ]

डरते हैं वे विधान सभा द्वारा पास किये गये कानून की आड में टेक्स लगा सकेंगे और वसूल कर सकेंगे और यह कह सकेंगे कि विधान सभा ने कानून बना दिया है इसलिए टैक्स लगाना हमारे लिए लाजमी होगया है और कोई चारा नहीं है इसलिए टैक्स लगाना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा। वास्तव में यह म्युनिसिपेलिटीज़ का कहीं फंकशन हो सकता था लेकिन आम जनता और म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले नागरिकों की सुख सुविधा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए विधान सभा के लिए आवश्यक है कि बिल में ही इस तरह का प्रोविज़न कर दे ताकि म्युनिसिपेलिटीज़ की आर्थिक स्थिति जो आज खराब है वह आगे चलकर ठीक हो जायगी और नागरिकों को भी सुख सुविधा मिल सकेगी।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें यह ख्याल रखा गया है कि गरीबों पर भार नहीं पड़े इसलिए प्रोविज़न रखा गया है कि कम आमदनी वालों पर या कम रेन्टल वेल्यू के मकानों पर टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए यह रखा गया है कि ६० रु० से कम जिसकी रेन्टल वेल्यू होगी उस पर कर नहीं लगेगा। यदि मकान किसी सिटी में है तो जिस मकान की १२० रु. साल से कम रेन्टल वेल्यू हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि समाज के गरीब लोग जिनको अपना जीवन निर्वाह करना कठिन है उन पर भार नहीं डाला जाय, और अगर डालना जरूरी हो तो कम से कम डाला जाय। और सोशलिस्टिक पेटर्न के बारे में हमारी सरकार तय कर चुकी है और देश की जनता तय कर चुकी है। हमें अगर समाजवादी व्यवस्था कायम रखनी है तो मैं समझता हूं टेक्सेज़ का स्ट्रक्चर का ख्याल करना भी सोशलिस्टिक पेटर्न लाने के लिए जरूरी हो जाता है।

From each according to capacity and to each according to necessity.

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, सरकार को उसकी आवश्कता के अनुसार देना चाहिये और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार सरकार को लेना भी चाहिये, इस उसूल को ध्यान में रखते हुए टेक्स लगाये हैं और कुछ प्रकार के मकानों को और कम किराये के मकानों में रहने वालों को इस टेक्स से मुक्त किया गया है। ऐसी सूरत में मेरे साथी जिन्होंने इससे बडा भारी केस बनाने की कोशिश की कि गरीबों पर इससे मुसीबत बर्पा हो जायगी। बहुतसी बातें for playing to the galleries के इस हिसाब से कह देते हैं, मगर मैं समझता हूं वे साथी इस संशोधन को वापिस ले लेंगे। दूसरे देशों में भी ओक्ट्राय ड्यूटी चल रही है और होनी भी चाहिये, हम सिद्धान्त के तौर पर तय कर रहे हैं कि टैक्स लगे पर प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी जिस दर से लगान चाहे इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता उनको है, उनके अधिकारों को हमने डिटेल्स में जाकर सीमित नहीं किया है, उनकी आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए जो चाहें रेट लगा सकती हैं, जिन चीजों पर लगाना चाहें लगा सकती हैं और जिन चीजों पर छोडना चाहे छोड सकती है। तीसरा प्रोफेशन्स और वेकेशन्स के बारे में है, इसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है

[श्री विश्वम्भर नाथ]

कि कम आमदनी के लोगों पर इसका असर न पड़े। मिसाल के तौर पर दस्तकारी का काम करने वाले और तेली, दर्जी बढ़ई, कुम्हार लोहार आदि हाथ से काम करने वाले हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, यदि इन पर टैक्स लगाते हैं तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, जो दिन भर की महनत से गुजारे के लायक साधन मुश्किल से जुटा सकते हैं, उनको इसमें मुक्त रक्खा गया है, आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स, कारीगरी, व दस्तकारी का काम करने वाले, तेली, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, दर्जी आदि जो अपने हाथ से काम करते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा और वह गरीब तबका इस टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, यह टैक्स उन्हीं पर लगेगा जो देने की क्षमता रखते हैं। ये टैक्स उन लोगों पर लगना जरूरी है जो कि देने की क्षमता रखते हैं और खास कर के उस समय बहुत जरूरी है जब कि म्युनिसिपेलिटीज पंगु बनी हुई हैं। यह जो टैक्सेज़ लगा रहे हैं यह ठीक किया है। फिर भी साथ ही यह भी खयाल रखा गया है कि आखिर म्युनिसिपल बोर्ड के पास अपनी स्थिति का सबसे अच्छा ज्ञान होता है अपनी स्थिति का सबसे अच्छा अध्ययन वे ही कर सकते हैं और यह हो सकता है कि किसी दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड के पास उसकी आमदनी के अन्य जरिये हों और उसे इन तीनों टैक्सेज़ में से एक भी टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं हो, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यह भी इसमें प्रोविजन रखा गया है कि यदि कोई म्युनिसिपैलिटी आवश्यक समझे कि इन तीनों में से कोई एक टैक्स, दो टैक्स या सभी टैक्स लगाना आवश्यक नहीं है तो वे सरकार से निवेदन कर सकती हैं। तो इस धारा के अन्तर्गत म्युनिसिपेलिटीज़ को लाजिमी टैक्स लगाने से मुक्त करने का अधिकार दिया गया है। फिर सरकार को अधिकार है कि म्युनिसिपल बोर्ड के इस प्रकार के प्रतिवेदन को पढ़ कर, वहां की स्थिति को देख कर ऑर्डर दे सकती है कि वह म्युनिसिपल बोर्ड इन टैक्सेज़ में से किसी एक या दो या सभी टैक्सेज़ से लोगों को मुक्त कर सकती है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की विचारधाराओं के संतुलन की पूरी कोशिश की गई है। तो इस प्रकार ये टैक्सेज़ ऑब्लीगेटरी भी हैं और ऑप्शनल भी हैं।

यह प्रकट है कि आर्थिक स्थिति म्युनिसिपल बोर्ड्स की अच्छी नहीं है, हमें कल्याणकारी राज्य की ओर जाना है, जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ म्युनिसिपेलिटियों द्वारा पहुँचाना है, गरीबों का पूरा ध्यान रखना है, इन सब कामों को करने के लिये और म्युनिसिपेलिटीज़ की भावी तरक्की के लिये टैक्सेज़ लगाना जरूरी है। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूँ कि सदन इसे एक राय से पास करेगा।

रावराजा श्री सरदार सिंह:—माननीय चेयरमेन, धारा ८७ पर मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, इस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय चेअरमेन, जो सरकार ने टैक्स लगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, उनमें से ३ ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ हैं, उनकी तो पूर्ण जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब म्युनिसिपेलिटीज़ के सब मेम्बर प्रजा की राय से चुने जा कर बोर्ड के अन्दर आते हैं, तो जैसे कि पंचायतें सब गांवों में अपनी इच्छानुसार मंजूरी देती हैं, उनको टैक्स लगाने का पूर्ण अधिकार है तो फिर यहां म्युनिसिपलिटीज में सरकार क्यों दखल देती है, तो सरकार ये सारे अधिकार म्यु० बोर्ड्स को ही क्यों नहीं

[श्री सरदारसिंह]

दे देती। और जो ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ की बात सरकार अपने ऊपर लेती है यह बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार को कोई कम्पलसरी टैक्स नहीं लगाना चाहिये और म्युनिसिपलिटियों में अगर किसी तरह की बीमारियां हैं तो उनका इलाज उन बोर्ड्स पर ही छोड़ देना चाहिये कि वे ही इन बीमारियों का इलाज ढूंढ कर निकालें। सरकार यह सब अपने जिम्मे क्यों लेती है? सरकार अगर जिम्मेदारी लेती है तो गलियों को भी खुद जा कर सफाई क्यों नहीं कराती, पानी का पूरा प्रबन्ध नहीं है, इसका सरकार खुद जा कर क्यों नहीं इन्तजाम करती, आज मैं देरी से आया क्योंकि नल में पानी नहीं आता है, तो यह इन्तजाम भी खुद जा कर क्यों नहीं करती। म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर्स से सफाई नहीं होती है तो प्रजा आकर पुकारती है तो उसे कहा जाता है कि क्या करें, हमारे ऊपर तो एक अंकुश बैठा हुआ है, हम क्या इन्तजाम कर सकते हैं अब ये ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ भी सरकार के हुक्म से लगेंगे। ओक्ट्राय के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि अनाज की पोटें, सब्जी वगैरह की ले कर गरीब लोग टोंक में जाते हैं, गेट पर बैठा रहने वाला कहता है लाओ इसके टैक्स के दो आने, वह बेचारा कहता है अरे साहब दो आने की तो इसकी कुल कीमत ही नहीं है। पर उससे दो आने वसूल कर लिये जाते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ये तमाम पॉवर म्युनिसिपल बोर्ड को देने चाहिये और सरकार को खुद कंपल्सरी टैक्स नहीं लगाने चाहिये।

सरकार ने तो कच्चे मकानों पर टेक्स बन्द किया है और गांवों में ६० रुपया मासिक से कम आमदनी है उनको मुक्त रखा है, यह भी बहुत कम है। मैं यह चाहता हूँ कि शहरों में जिनकी २४० रुपया आमदनी सालाना किराये की है, उन्हें मुक्त करना चाहिये और १२० क जिनकी गांवों में आमदनी है, सालाना के उन्हें मुक्त करना चाहिये और जहां छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटियां हैं, उन्हें मुक्त कर देना चाहिये। क्योंकि जहां म्युनिसिपेलिटीज़ होने की संभावना नहीं होती वहां भी सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण से म्युनिसिपलिटी कायम कर देती है, वहां मामूली काम चलाने लायक भी आमदनी नहीं होती, वहां के लोगों पर भी टेक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि वहां के लोगों की टैक्स देने की क्षमता नहीं, ऐसी सूरत में अगर टैक्स लगाती है तो एजीटेशन होता है, अगर नहीं लगाती है तो सरकार उनको कहती है कि म्युनिसिपेलिटी भंग कर देंगे। राजस्थान में आपको मालूम होगा कि बहुत थोड़ी जगहे ऐसी हैं जहां विरोधी दल की म्युनिसिपेलिटियां हैं। ये तमाम हथियार जो सरकार अपने हाथ में लेती है, सबसे पहले यह हथियार विरोधी दल की म्युनिसिपेलिटीयों पर ही आजमाया जायगा यह मैं दावे के साथ कह सकताहूँ। इसलिये मैं अन्त में यही कहूँगा कि ये तमाम ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ लगाने के पॉवर म्युनिसिपेलिटीज़ को हमें देने चाहिये, क्योंकि बोर्ड में प्रजा द्वारा चुने हुए नुमायन्दे हैं और सोच कर स्थिति के अनुकूल ही टैक्स लगायेंगे। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री द्वारकादास पुरोहित—चेयरमेन महोदय, म्युनिसिपेलिटी को सेल्फ सपोर्टिंग बनाने व उनको फाइनेन्शियली रीहेबिलीटेट करने की जो भावना सरकार और माननीय मंत्री महोदय की है उसकी मैं कद्र करता हूँ। म्युनिसिपेलिटीज़ की फाइनेन्स की स्थिति वाकई में एक अर्से दराज से कमजोर है और उसी कारण से वह पिछले वर्षों में कोई खास उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाई और जिन कामों को हम वाकई में एमिनिटीज़ के रूप में समझ नहीं कर पाई यह सही बात है। लेकिन आज के युग में सभी लोगों की यही भावना रहती है कि उनको ज्यादा एमिनिटीज़ मिलें, उनका स्टेन्डर्ड आफ लिविंग ठीक हो, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें। यह एक स्वभाविक बात है और लोग यही चाहते हैं कि अमुक अमुक स्थानों पर पानी की व्यवस्था ठीक हो, मकान बनाने के लिए लोकेलिटीज़ और एरियाज़ तैयार करके म्युनिसिपल बोर्ड दे, जिसमें उनके मकान बन सकें। उनके एरिया में रीडिंग रूम बनाये जावें, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाये जावें छोटे बड़े पार्क बनाये जावे और इस प्रकार की मांग जो करें तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की मांग को गैर वाजिब नहीं कह सकता। मगर म्युनिसिपल्टी के फाइनेन्स ठीक नहीं होने से और सरकार के भी फाइनेन्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं होने से यह वास्तविक झगड़ों के रूप में पड़ा रहता है। इसलिये मेरा यह खयाल है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और पिछले तीन वर्षों के अनुभव से यह कदम उठाया है और वह है यह कि टैक्स लगाए जावें। इस टैक्स के खिलाफ पिछले तीन वर्षों से सरकार के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। म्युनिसिपेल्टी ने ओक्ट्रॉय टैक्स लगाया, उसके संबंध में अभी तक संघर्ष चल रहा है और वह खत्म नहीं हुआ है। मैं यह कहूँगा कि टैक्सों के कारण एक ऐसा एटमोस्फियर पैदा हो गया है कि लोग यह समझते हैं कि जिस सद्भावना से सरकार टैक्स लगा रही है वह भावना पब्लिक के समझ में नहीं आ रही है और पब्लिक यह समझ रही है कि यह टैक्स सरकार दिनों दिन लगाती जा रही है और लगातार लगाती जा रही है और इन टैक्सों को लगा कर इनसे जो आमदनी होती है उसको सर्विस क्लास पर खर्च कर रही है।

(श्रीमती यशोदादेवी अध्यक्षीय पदपर आसीन)

और इन टैक्सों से जो आय होती है उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हो रहा है और इसी कारण से चारों ओर इस तरह का वातावरण बना हुआ है, इन टैक्सों के विरोध में। इस मौके पर सरकार ने जहां ओक्ट्रॉय ड्यूटी लगाई और जिस संघर्ष का मुकाबिला किया उस संघर्ष के होते हुए भी ८७ [ए] में इस तरह का प्रोविजन इस तरह का डाला है : ओक्ट्राय ड्यूटी, हाउस टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स ओबलीग्रेटरी रहेंगे।

मैं समझता हूं कि इनको रखते हुए सरकार के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है कि इनको ओबलीडेट्री बना देते हैं तो भी वह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। वह सरकार और म्युनिसिपेल्टी के बीच में हो सकता है। इसलिए इसको रखना चाहिये। मगर सरकार ने इसके साथ साथ यह भी रखा है कि अगर म्युनिसिपेल्टी चाहे कि इनमें से कोई टैक्स नहीं लगाया जावे तो वह उसकी वजह लिख कर सरकार के पास ओब्जेक्शनों और रीज़न्स के साथ एप्रोच कर सकती है और सरकार उस

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

पर विचार करेगी । श्रीमती कार्यवाहक अध्यक्षा, हम आपके जरिये सरकार को निवेदन करेंगे कि सरकार को इस उलझन में पड़ने की क्या जरूरत थी ? जब आप म्युनिसिपेल्टी बोर्ड को यह अधिकार देते हैं कि वह जिन किसी टैक्सों को मुनासिब नहीं समझे उसके लिए सरकार को लिख कर दे तो ऐसी हालत में इस प्रोविजन को रखने की क्या जरूरत है और कौनसी वाजिब बात होगी और क्या जस्टिफिकेशन है कि आप इस एक्ट में इसको रख रहे हैं । आप इस प्रकार का प्रोविजो इसके साथ लगा कर अर्थ का अनर्थ करते हैं । क्या आप यह आशा करते हैं कि जो लोग म्युनि-सिपल बोर्ड में शहरों, और कस्बों में चुन कर आवेंगे वे इस प्रोविजो का फायदा नहीं उठाएंगे । वे अवश्य इसका फायदा उठाएंगे और आपके पास सिफारिस करेंगे कि ये टैक्स नहीं होना चाहिये । इसलिए यह वाजिब नहीं है ।

आपने तो टैक्स इसलिए ओब्लीगेटरी रखे हैं कि म्युनिसिपेलिटीज़ की फाईनेन्स की पोजिशन साउन्ड हो जाए और उनकी हालत सुधर जावे । जब आप ऐसा करने जा रहे हैं तो इस भावना के साथ ऐसा प्रोविजन क्यों लाया जा रहा है जिससे लोग इसकी मुखालफत करें ।

आपको याद रहना चाहिए कि आपको जयपुर और जोधपुर में ओक्ट्रॉय लगाने के बारे में तीन वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा । इसके लिए म्युनिसिपल बोर्ड ने रिकमन्ड किया था और उसके साथ साथ मैं यह कहूंगा कि वहां कि बिजनेस सोसाइटीज का भी साथ रहा और इन्होंने टैक्स को लगाने में मदद दी । इतनी मदद होने पर भी आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ? क्या आप उस बात को इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि अभी तक पब्लिक का दिमाग टैक्स माइन्डेड नहीं है और आपको टैक्स लगाने से पहले पब्लिक माइन्ड ऐसा बनाना चाहिये जिससे जनता टैक्स दे । आपको इस बात के साथ साथ कि इस प्रकार के टैक्सों से म्युनिसिपेलिटी सेल्फ सपोर्टेड बन जावेगी, मगर साथ ही साथ इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिये कि इसमें कितनी दिक्कतें आवेंगी ।

अगर आपको मालूम हो कि अमानुल्ला ने एक दम अपने देश में रिफोर्म करना चाहा था और उसने वहां के लोगों की भावना नहीं बदली । जब तक लोगों की भावना नहीं बदलती तब तक रिफार्म नहीं हो सकते । नतीजा यह हुआ कि उसको गद्दी छोड़ कर सदा के लिए भागना पड़ा ! कहने का तात्पर्य यह कि पहले लोगों की भावना बदलना चाहिये और फिर कोई काम करना चाहिये । आप हर वक्त म्युनिसिपल बोर्ड में टैक्स का एटमोस्फियर रख कर पब्लिक का भला करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप पब्लिक का भला नहीं कर सकेंगे उल्टा उसका नुकशान ही करेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि पब्लिक प्रोवोक होकर आम वातावरण को बिगाड़ देता है । हो सकता है कि सरकार वाजिब टैक्स लगाती है मगर एक ही साथ में, एक ही समय में सब प्रकार के वाजिब टैक्स होते हुए भी जनता में उससे असंतोष फैल जाता है और संघर्ष होने लग जाता है ।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

चाहे वह टैक्स किसी भी राजनैतिक पार्टी से या सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता हो और सीधा फाइनेन्सियल टैक्सेशन के माफिक कार्यवाही की जा रही है। इस तरह की कार्यवाही को करना लेक ओफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जा सकता है।

वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं हो लेकिन हमारे पब्लिक के सोचने के तरीके कहां तक पहुंचे हैं, उसका सोचने का स्टेज क्या है, जो भी हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो सकेंगे या नहीं, इस पर विचार करना है।

आखिर आप जिस जनता के लिये फायदा करने जा रहे हैं उसके साथ चलना जरूरी हो जाता है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि जनता हर टेक्स का विरोध करती है। विरोध हुआ है मगर उस विरोध के पीछे क्या कारण है, किसी ने जानने की कोशिश की है, ? अगर हम बैठकर कारण ढूंढे तो पता चलेगा जनता को हम यह नहीं बताते कि ये एमिनिटीज़ आप लोगों के लिये एक्सटेन्ड होने वाली हैं। आप लोग बड़ी सरकार लेकर बैठे हैं जिसके सामने लाख, दो लाख, चार लाख रूपया किसी भी तरीके से निकाल कर खर्च कर सकते हैं किन्तु जब आप किसी भी म्युनिसिपलिटी पर टेक्स लगाते हैं तो आप उसके लगाने के पहले वातावरण नहीं बनाते जिस वातावरण से लोगों को यह मालूम पड़े कि हमारे लिये सरकार यह एमिनिटीज एक्सटेन्डकरने वाली हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो टेक्सेज का प्रोवीजन ओब्लीगेटरी रखा गया है लाजिमी तौर से ये टेक्स लगाने पडेंगे, यह जो कानून में प्रोवीजन कर रहे हैं उसे वास्तव में उचित नहीं कहा जा सकता, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर आपने तो रिलेक्स कर दिया, वैसी सूरत में कौनसी ऐसी चीज आजाती है जिससे यह सोचा जाय कि यह ओब्लीगेटरी होगा जब इसमें प्रोविजो डाल दिया गया है तो यह नल एन्ड वोइड हो गया।

आप फिर से इसे सोचिये कि प्रोवीजो को रखते वक्त जो आपकी भावना है उस भावना को और दिल को टटोलिये तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेक्सेज ओब्लिगेटरी रख रहे हैं उनको डिसक्रीशनरी में डालिये। अगर आपने उन्हें ओब्लिगेटरी में रखा तो जरूर संघर्ष होगा, चुनाव होगें तब दूसरी पार्टीज़ संघर्ष इसी बात को लेकर लड़ेगी कि सरकार ने जिन टेक्सों को ओब्लिगेटरी रखा है जो बोर्ड को लगाना पड़ेगा वे लगाने न देंगे, इस बात को लेकर इलेक्शन लडा जायगा। उसकी दूसरी तरफ आप कैसे जनता को उसके लगाने के औचित्य को समझायेंगे कि बोर्ड चाहे तो उसको रिलेक्स कर सकता है। फर्क इसमें क्या पड़ता है, अगर आपने जो ओब्लीगेटरी टेक्स रखे हैं उनको डिसक्रीशनरी में रखते हैं तो अगर बोर्ड वाजिब समझता है कि इस प्रकार के टेक्स लगना चाहिये तो वह रेजोल्यूशन पास करके टेक्स लगाने की सिफारिश कर सकता है और आप उसे मन्जूर कर दें, इसमें आपको दिक्कत कौन सी आती है। वह दिक्कत सजेस्टिव है, जो डिस्क्रीशनरी टेक्स की लिस्ट

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

आ रही है वह सजेस्टिव लिस्ट होगी, ये तीनों टेक्स भी उसमें डाल दें तो क्या आपत्ति है ? आखिर नये टेक्स तो कोई एक्सप्लोर नहीं किये। ये टेक्स हर जगह मौजूद हैं। जिन जगहों पर येकानून लागू है उन्हीं से लेकर तो आपने लिस्ट तैयार की है। आप उन्हीं के पीछे तो चल रहे हैं। आप कोई नई चीज करने जा रहे हैं, इससे ऐसा तो कोई जनता को पता चलने वाला नहीं। आप यह सोचते हैं कि यह कानून में कार्यवाही कर देते हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड के लिए सहूलियत हो जायगी लेकिन आप सहूलियतें क्या दे रहे हैं यह चीजें तो ओक्ट्रॉय ड्यूटी और हाउस टेक्स यह तो पहले ही चल रही है। आप कोई नई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं, प्रोविज़ो रखते हैं और उसमें ओब्लीगेटरी रख कर आप इसे गुनाह बेलज्जत की मिसाल को कामयाब कर रहे हैं। आप इनको रखिये ओब्लीगेटरी की जगह डिसक्रीशनरी में डाल दीजिये। जहां म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा ऑक्ट्राय लिया जा रहा है हाउस टेक्स जहां लग चुका है वह ठीक है,वह लोगों को देना ही पड़ेगा, म्युनिसिपेलिटी के फाइनेन्सेज़ कोठीक करने के लिए हाउस टेक्स और ये टेक्स यों के यों जारी रहेंगे और जहां नहीं है अगर वहां की म्युनिसिपेलिटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वहां भी इस प्रकार के टेक्स लगाने पडेंगे। जहां हम हाउस टेक्स इम्पोज़ कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या सभी जगह मकानों की कन्डीशन एक सी है लेकिन जहां तक मैं कह सकता हूं हर शहर में मकानों की अलग अलग कन्डीशन है। आज जयपुर शहर को ही ले लीजिये, यह राजस्थान की केपिटल भी है, यहां पर पुराने मकानात भी हैं और बहुत बड़े बड़े मकानात भी। जो किराया अच्छा ईल्ड करते हैं। इससे यहां जो टेक्स का इन्सीडेन्स है वह अच्छा हो जाता है। कई शहर मिलेंगे जहां मकानात छोटे हैं और जिनके पास बड़े बड़े मकानात हैं उनके मालिकों की यह हालत है कि उनके पास खाने-पीने के लिए नहीं, जिनका किराया वसूल नहीं हो सकता। आपको उसूलन ऐसी चीजों को इम्प्रेक्टिकेबल मान कर टेक्स को लेवी करने की तरफ चलना चाहिये, बहुत हार्शली ऑपरेट करते हैं तो इसमें बहुत सोचने की बात होगी। आपने तो यह फार्मूला दे दिया, मेरा यह निश्चित मत है कि इस फोर्मूले को रिवाइज करना पड़ेगा, म्युनिसिपल बोर्ड को। तो बजाय इस वक्त इसे ओब्लीगेटरी क्लॉज़रख कर ख्वामख्वाह हम चक्कर में पड़ रहे हैं, इससे कोई मकसद हल नहीं होगा। इसके लिये आपके बीच और म्युनिसिपल बोर्ड में संघर्ष होने वाला हैं वह रुकने वाला नहीं है, यह पेचीदगी आपके सामने आयेगी, आप ख्वामख्वाह झगड़ा पैदा कर रहे हैं, जहां इन टेक्सेज़ को गवर्नमेंट ने ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ में रख दिया है उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको ओब्लीगेटरी प्रोविज़न्स से हटा कर डिसक्रीशनरी में डाल दिया जाय, इससे आपके मकसद में कोई अन्तर आने वाला नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय चेयरमेन महोदय, टेक्सेज़ के के बारे में राजस्थान में यह एक नया कदम है और मैं समझता हूं, सदन के माननीय सभी सदस्य इस बात को एप्रीशियेट करेंगे. हमारे म्युनिसिपल बोर्ड के जिस प्रकार के फाइनेन्सेज़ हैं उनको देखते

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

हुए। चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज की दिक्कतों को देखते हुए जिस प्रकार की आपत्तियों का उनको सामना करना पड़ता है, अन पोपूलर होने की वजह से टेक्सेज़ के मामलों में वे कदम नहीं उठा सकते इसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत पेश आती है। उनको सामने रखते हुए यह मुनासिब समझा गया है कि कुछ टेक्सेज़ को ओब्लीगेटरी कर दिया जाय ताकि म्युनिसिपल बोर्ड्स का काम ठीक प्रकार से चल सके और म्युनिसिपल बोर्ड्स को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

पिछली बार जब इस सदन में मैंने इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे साथी दूसरे अन्य प्रान्तों में ऐसी बहुत सी पंचायतें हैं जिनके लिए बहुत से टेक्सेज़ ओब्लीगेटरी हैं और उस समय मैंने आपके सामने उन पंचायतों के नाम गिनाये थे उनको दुबारा रिपीट करना मुनासिब नहीं होगा। इसी प्रकार से मैंने यह भी निवेदन किया था कि मथाई कमीशन ने भी इस बात की राय जाहिर की थी म्युनिसिपल बोर्ड के लिए जो कानून बनाया जाय उसमें कुछ टेक्सेज़ ऐसे हों जिनको ओब्लीगेटरी किया जाना चाहिये ताकि हर म्युनिसिपेलिटी इस प्रकार के टेक्सेज़ को इम्पोज कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कानून अभी हमारे सामने हैं उसमें इस प्रकार का एग्रीड सोल्यूशन रखा गया कि ये तीनों टेक्स कम्पल्सरी कर दिये जांय बाकी सबको ओप्शनल कर दिया जाय। इसमें जो हाउस टेक्स लगाने की बात है इसमें से ऐसे मकान निकाल दिये गये हैं जैसे शहरों में जिस मकान की सालाना किराये की आमदनी १२० रुपये होगी और दूसरे कस्बों में जिन मकानों की आमदनी सिर्फ साठ रूपये हैं उनके ऊपर हाउस टेक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा एक प्रोवीजन और रखा गया है, कई म्युनसिपैलिटियां ऐसी हैं जहां यह हो सकता है कि बिना हाउस टेक्स लगाये ही इतनी आमदनी होती हो कि वे अपना काम अच्छी तरह से चला सकें, तो ऐसी हलत में वह म्यु० नहीं चाहेगी कि वहां की जनता पर इस प्रकार का टेक्स लगाया-जाय। तो इसमें यह रखा गया है कि म्युनिसिपलिटी के कहने पर गवर्नमेंन्ट उस पर विचार करेगी अगर वास्तव में ऐसी बात मालूम हुई कि टेक्स लगाना जरूरी नहीं तो उसके लिये इसप्रकार का टेक्स लगाना जरूरी नहीं होगा। यह जो प्रोवीजन रखा है वह सारी कठिनाइयों को और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख कर रखा गया है, टेक्सेज के बारे में प्रेक्टिकल डिफीकल्टी राजस्थान की म्युनिसिपैलिटियों के सामने आई, उन सब बातों को ध्यान में रखकर यह प्रोवीजन रखा गया है। इसलिये सदन के सभी माननीय सदस्यों से ख्वाहिश भी जाहिर की है कि कुछ ऐसे टेक्सेज़ जरूर होने चाहिये।

क्लॉज़ ८७ का जवाब देते हुए मैंने बड़े अदब के साथ निवेदन किया था, जब आप सुविधायें पहले मांगते हैं तो यह कदापि होने वाला नहीं, गवर्नमेंन्ट के साधन भी तो लिमिटेड हैं। जो कुछ सुविधायें वह दे सकती है देने की भरसक कोशिश करती हैं। हर शहर और हर कस्बे में देने की कोशिश करती है। जहां पर भी म्युनिसिपैलिटियां हैं उनको काफी रुपया लोन के रूप मे दिया गया है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कई जगह बिजलीघर और वाटर वर्क्स बनाने के लिये गवर्नमेंन्ट की ओर से लोन दिये जाने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था के लिये और इक्विपमेन्ट्स आदि के लिये जहां तक हो सका है सब शहरों के लिये सुविधा देने की ओर ध्यान दिया है। अन्य भी सुविधायें है, वे दे रही हैं। इस प्रकार से म्युनिसिपलिटी द्वारा जो अन्य सुविधा मिलनी चाहिये उनको डिसचार्ज करने के लिये टेक्स लगाना आवश्यक हो जाता है।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

मैंने साथ ही यह भी अर्ज किया था कि म्यु० यहां की डेफिसिट मे हैं और उनका अस्तित्व भी खतरे में है, इसलिये जब तक हम इस तरह का कानून बनाकर सहायता नहीं देंगे तबतक उनको चलाना कठिन हो जावेगा और जब तक जनता के हित में म्यु० काम नहीं करेगी तब तक जनता द्वारा चुने हुए म्यु० के सदस्यों को एनकरेजमेन्ट नहीं मिलेगा और अगर लोकल बोडीज़ को चलाना है तो इस तरह के कानून की ताईद करके सदन के सदस्यों को एक मत होकर इसको पास कर देना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट किया हुआ क्लॉज श्री तेजमल बाफना ने रक्खा है और त्रिवेणीश्याम शर्मा ने संशोधन किया है उसको इसी प्रकार से सर्व सम्मति से पास करेंगे और इसके अलावा जो अमेन्डमेन्ट है वे सदस्य वापिस ले लेंगे।

श्री जवानसिंह— कोई विदड्रा करना चाहते हैं ?

(श्री तेजमल बाफना को) क्या आपको श्री त्रिवेणीश्याम का अमन्डमन्ट मन्जूर हैं ?

श्री तेजमल बाफना— जी हां।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)— प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री त्रिवेणीश्यामजी ने श्री तेजमल बाफना के संशोधन पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री त्रिवेणीश्याम का संशोधन श्री तेजमल बाफना के संशोधन में स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन रक्खा है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शम्भूसिंहजी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री टी. एम. बाफना ने रक्खा है वह स्वीकार जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री सोहनलाल भटनागर का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८७, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

श्री टी एम बापना ने संशोधित क्लॉज़ ८७ बी और ८७ सी के रूप में संशोधन पेश किये।

प्रश्न यह है कि क्या ये क्लॉज़ेज़ स्वीकार किये जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ८७ एवं ८७ ए बी विधेयक के अंग बने।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८७ सी में श्री त्रिवेणीश्याम ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८७, सी संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८७ सी संशोधित रूप से विधयेक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ८८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ८८ में दो अमेंडमेंट्स हैं। एक भैरूं सिंहजी का नम्बर १८७ का है, जिसे स्वीकार कर लिया जावे और नम्बर ७४ जो है उसको नामन्जूर किया जावे। १०७ नम्बर के संशोधन को मेरी तरफ से मूव हुआ समझा जावे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसादजी ने क्लॉज ८८ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८८ में श्री बद्रीप्रसादजी के संशोधन को स्वीकार करने पर इस क्लॉज़ ८८ को डिलीट हुआ समझा जावे।

(स्वीकृत)

Page No 67

[श्री सभापति]

यह जो बद्रीप्रसादजी ने संशोधन मूव किया है उसके अनुसार क्लॉज़ ८८ डिलीट किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८९, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा कि क्लॉज़ ८९ पर जो अमेंडमेंट नम्बर ७५ है उसको मेरी तरफ से मूव समझ लिया जावे, बाकी मूव हुए नहीं। दो ही अमेंडमेन्ट्स हैं।

श्री सभापति—अब क्लॉज़ ८९ पर श्री बद्रीप्रसादजी ने संशोधन मूव किया है। प्रश्न यह है कि क्या इसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन जो अभी श्री बद्रीप्रसादजी ने प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ९०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ९० पर एमेंडमेंट कोई मूव नहीं हुआ है इसलिए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Page No 68

[श्री सभापति]

क्लॉज ६३, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस पर एमेंडमेंट नं० ८७ है, मूव हो गया है। It has been moved, इसको एक्ससेप्ट कर लिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन जो श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया गया ?

(विराम]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६३ को संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ६४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज ६४ पर एमेंडमेंन्ट नं० ७८ मूव हो चुका है। इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय।

श्री सभापति—No amendment has been moved

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, क्लॉज ६४ में मैंने, जो एमेंडमेंन्ट प्रस्तुत किये हैं वे कन्सीक्वेन्शियल हैं, क्योंकि इसमें क्लॉज ८७ में नया जोड़ा गया है इसलिए उसकी लाइन ३ में वह जोड़ा गया है और उसके साथ में लाइन नं० ६ में 'carried' के पहले 'not' लगाना है। संशोधन इस प्रकार है।

"(1) Insert 'under section 87A 'after ' levid by a board ' in line 3-

[2] Substitute 'is not carried ' for 'is carried ' in line 9."

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ ९४ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९४ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक एमेंडमेन्ट और है।

श्री सभापति—वह मूव नहीं हुआ है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९४ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ११२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ११२ पर श्री सोहनलाल भटनागर का एमेंडमेंट है।

श्री सोहनलाल भटनागर—मेरा यह संशोधन है कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

संशोधन इस प्रकार है :

"Delete the clause:

'Octroi bye laws to be submitted with proposal for imposition of Octroi'."

[श्रीसोहनलालभटनागर]

इसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल ही अलग रूल्स बनावेगी उस सूरत में यह रिडन्डेन्ट रहता है। इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ११२ पर श्री सोहनलाल ने इसको डिलीट करने के लिए प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११२ को विलोपित किया गया।

(विराम)

क्लॉज ११६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११६ विलोपित किया जावे।

श्री तेजमल बापना—माननीय चेयरमेन, इसमें मुझे एक एमेंडमेंट मूव करना है। वह यह है कि क्लॉज ११६ को डिलीट कर दिया जाय, क्योंकि जैसा कि ११२ में है इस सम्बन्ध में किसी के पास ऑक्ट्रॉय की चोरी किया हुआ माल यदि मिल जाय तो उसके ऊपर फाइन लगाने का रखा है, इसके लिए अलग रूल्स पास किये जायेंगे, इसलिए इसको डिलीट किया जाय। यह मेरा प्रस्ताव है।

"AMENDMENT- "Omit the whole clause.' "

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री टी. एम. बापना ने इस क्लॉज ११६ को डिलीट करने के लिए प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११६ को विलोप करना स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज १३६

(विराम)।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १५४

श्री तेजमल बापना—माननीय चेयरमेन, क्लॉज १५४ पर मेरा एमेंडमेंट है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय: 'Roofs and external walls of buildings not to be made of inf amable materials.'

इस संबन्ध में अलग रूल्स बनाये जायेंगे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति—मन्त्री महोदय को संशोधन स्वीकार है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन टी. एम. बापना ने क्लॉज १५४ पर प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ और परिणाम स्वरूप क्लॉज १५४ विलोपित किया गया।

(विराम)

क्लॉज २०२

(विराम)

[श्री भापति]

प्रश्न यह है कि क्लॉज २०२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २०२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २४०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २४० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २४० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २४१

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, क्लॉज २४१ ब्रोथल्स के बारे में है। कई माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की थी कि यह इसमें दिया हुआ है कि: 'may impose upon him a fine which may extend to twenty-five rupees for every day thereafter that the house has been so used :'

उसको दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने यह एमेंडमेंट प्रस्तुत किया है :

"For the words, 'may impose upon him a fine which may extend to twenty-five rupees for rveryday thereafter that the house has been so used' substitute' he shall be punishabie with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both and,in the case of continuance of non-compliance with such order, with additional fine which may extend to five rupees for every day after the first conviction thatthe house has been so used." '

इसके अन्तर्गत इम्प्रिज़नमेंट की सजा रख दी है और कन्टीन्यूड नोनकम्प्लायेन्स के लिए ५ रु० प्रति दिन के हिसाब से एडीशनल फाइन रखा है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

दूसरा जो इसमें प्रोविजो है उसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना कार्यवाही नहीं हो सकती थी, इसको डिलीट करने का निवेदन किया है। उनकी मन्जूरी के बिना ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी इसलिये इस प्रोविजो को डिलीट कर दिया जाय।

(मन्त्रीमहोदय की मौन स्वीकृति के पश्चात्)

श्री सभापति—मन्त्री महोदय को संशोधन स्वीकार है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २४१ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर का स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २४१ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज़ २४१ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज २४२

श्री सोहनलाल भटनागर :—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ २४२ गलियों में ऐसे आवारागर्दी के घूमने के बारे में था। इसके बारे में जो सजा रखी हुई थी उसके लिए कई माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि यह सजा बहुत कम है। ५०) रुपये के बजाय मैंने निवेदन किया है कि :—"to imprisonment of either description for a term which may extend to one month or to a fine which may extend to fifty rupees or to both."

[श्री सोहनलाल भटनागर]

कई ऐसे जुर्मों को चैक करने के लिए सजा होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह प्रस्ताव रखा है।

श्री हिम्मत सिंह:—इसमें "to" नहीं रहेगा केवल "both" ही रहेगा। 'Rs. 50/-- or both'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :— "or to both" लेन्ग्वेज ऐसी होती है।

श्री हिम्मतसिंह :— अच्छा है।

(मंत्री महोदय की मौन स्वीकृति के पश्चात्)

श्री सभापति :—मंत्री महोदय को संशोधन स्वीकार है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल ने २४२ क्लॉज़ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

जो संशोधन श्री सोहनलाल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४२, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज़ २४३

श्री सोहनलाल भटनागर :—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ २४३ बेगिंग के सम्बन्ध में है और इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रकट की थी और ये भी विचार व्यक्त किये थे कि जो व्यक्ति क्रिप्पल्ड हैं, अन्धे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, उन पर भी यह लागू हो सकता है इसलिए ऐसा क्लॉज़ नहीं होनी चाहिये। लेकिन यह क्लॉज़ इसलिए रखा गया है कि जिनकी तन्दुरस्ती

Page No 75

[श्री सोहनलाल भटनागर]

अच्छी होते हुए भी, जिनको एबल बॉडीज़ होते हुए भी जो लोगों को धोखा देकर, ठगी के लिए ऐसा काम करते हैं, कोढ़ निकाल लेते हैं, शरीर में घाव वगैरह पैदा कर लेते हैं, जिससे लोगों को कम्पकम्पी सी आ जाती है उनको बन्द करने के लिए यह क्लॉज़ रखा गया है। माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये थे उनको ध्यान में रखते हुए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है :

"For the first three lines, substitute the following :

'Whoever, being an able-bodied and healthy person fit for manual labour or other employment or work, begs importunately in a street or public place within a municipality by making, or pretending or threatening to make, cuts or wounds, in any part of his body or other like demonstrations or by taking out or pretending or threatening to take out, blood from or by exhibiting the blood of any part of his body or otherwise, or whoever, being such a person as aforesaid, exposes or exhibits any deformity, disease, sore or wound which is offensive to sight and in fact does not exist but is pretended to exist or has been manipulated by himself with or without the help of any other person with the objectof exciting charity.'

(मंत्री महोदय की मौन स्वीकृति के पश्चात्)

श्री सभापति—मंत्री महोदय को वह संशोधन स्वीकार है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४३ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लॉज २४३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २४७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४७ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४७ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ २६७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६७ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३०१.

श्री सोहनलाल भटनागर — माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ३०१ के बारे में कल काफी बहस हुई थी। बोर्ड को डिज़ोल्व करने और सुपरसीड करने के बारे में जो क्लॉज़ है उसमें कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी थी। उनकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें उनकी भावना को ध्यान में लाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें इस प्रकार से इग्ग्रमेन्ट किया गया है; "(i) To sub-clause (1), add the following further proviso:

[श्री सोहनलाल भटनागर]

'provided further that in order under clause (a) shall not be passed-

(i) Unless the State Government has drawn up a statement setting out distinctly the charge against the board and sent the same for inquiry in the prescribed manner and findings to a tribunal consisting of a chairman and not less than two members, constituted in the prescribed manner, or

(ii) otheruise than in conformity with such findings.'"

माननीय चैयरमेन, इस प्रोविजो को लगा देने की वजह से अगर किसी बोर्ड को सुपरसीड करना होगा तो गवर्नमेन्ट को उन पर चार्ज लगा कर उसके लिए एक ट्रीबुनल को बैठाया जायगा और फिर वह उस सम्बन्ध में ऑर्डर्स पास करेगा। कई माननीय सदस्यों की यह भावना थी कि गवर्नमेंन्ट को इस प्रकार से डिस्क्रीशनरी पावर्स नहीं दिये जाने चाहिए। इससे अब उनकी भ्रान्ति दूर हो जायगी।

"(2) omit sub clause (2)'

(3) In sub- clause (3), omit-

'(a) or extended under sub-section (2)' and

'(b) and shall not affect the power of the State Government under subsection (2) to extend the period of supersession beyond the period excludedr thereby-'

(4) In part (b) of sub-clause (5), omit :' or extended under sub-section (2)."

उसके बाद यह भी प्रोवीजन किया गया है इससे कि मयाद को छः महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाय। मैं समझता हूँ कि मेरे इस संशोधन से उनको संतोष हो जाता है। जैसा कि बिल में था कि १ साल की अवधि होगी अब उसको हटा कर इससे केवल छः महीने की अवधि कर दी है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ ३०१ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन क्लॉज ३०१ में स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०१ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना !

(विराम)

What about the Chapter XIII.

श्री अबनीकुमार मुकर्जी—It has been deferred.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सर्विसेज़ का जो चेप्टर है उसको आज न लेकर आयन्दा ले लें।

श्री सभापति—I would like to know the sense of the House when we should meet on Monday.

अनेक माननीय सदस्य—Morning hours.

(विराम)

श्री सभापति—I should take it for granted that time is 8 A.M, Monday.

(विराम)

So we adjourn at 8 A. M. Monday.

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मध्यान्हपूर्व ११. २६ पर सोमवार दिनांक ७ मई, १९५६ के प्रातः काल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ४ मई, १९५६.

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८१४ का उत्तर देखिये)

बांसवाड़ा जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों की सूची

क्रम संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई सड़क की जो बन चुकी है		लम्बाई सड़क जो मय पुलियों के बन चुकी हैं	
१	२	३		४	
		मील	फ.	मील	फ.
१.	बांसवाड़ा रतलाम राजस्थानकी हद तक	७	०	६	
२.	बांसवाड़ा सागवाड़ा	७	४	५	०
३.	कुशलगढ उदयगढ़	९	३	३	०
४.	बांसवाड़ा कुशलगढ़	५	०(५मी.ग्रेवल)	३	०
५.	बांसवाड़ा प्रतबगढ़ा	४	६	४	६
६.	कालिंजरा बागिडोरा	४	४	४	४
७.	बांसवाड़ा चिंच	४ मील बना पुलियों के		४	०(बिना पुलियों के)
८.	प्रतापपुर गढी	१	०	१	०

मार्च सन् १९५६ तक उपरोक्त सड़कों पर १४,१७,७०२ रुपये खर्च हो चुके हैं।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८१५ का उत्तर देखिये)

नाम सड़क	बजट ५६–५७ में रू० स्वीकृत हुआ।	कार्य चालू है या नहीं।
जिला बीकानेर		
१. नोखा नागोर रोड	१३०७१ रू०	
जिला चुरु		
१. चुरु मलेरी रोड (कन्स्ट्रक्शन)	१०६६१६ रू०	
२. तैनगर सावा रोड मी० ७:१२	२५००० रू०	
३. मैटल्ड रोड डूंगरगढ़ से थालसर	३०००० रू०	
४. मैटल्ड रोड लालगढ़ से काट्ट	५०००० रू०	
५. मैटल्ड रोड दीपलसा से पालसर	६०२२ रू०	
६. मैटल्ड रोड सरदारशहर स्टेशन से कस्बा	२८००० रू०	
७. चुरु बिसाउ रोड , चुरु झुन्झुनु रोड का भाग	२८३८६३ रू०	
८. डूंगरगढ़ से डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से डामर रोड	८००० रू०	
९. दूदवाखेडा रेल्वे स्टेशन से कस्बा	७६२३० रू०	
१०. राजगढ़ से पिलानी सड़क मी० ४ का हिस्सा	५०००० रू०	
जिला गंगानगर		
		सड़कें जो सम्भवतया ५६—५७, में समाप्त होने को हैं
१. पदमपुर से रायसिंगनगर डामर रोड	१ २५००० रू०	कार्य चालू रहेगा।
२. भादरा से हिसार वाया झांसील	५०००० रू०	

३. गंगानगर हिन्दूमल कोट सड़क २०७०० रु० ४. गंग केनाल से सादूवली ६६७१ रु० ५. अप्रोच रोड चोतीला रेलवे स्टेशन से सांगरिया मन्डी—Out of funds at iten NO. 9	समाप्त होने की आशा है

६. अभोर हनुमानगढ सड़क वाई पास हनुमानगढ़ ७. बीकानेर अभोर रोड हनुमानगढ़ से राजस्थान की सीमा तक	१४००८५६ रु०	कार्य चालू रहेगा
८. हनुमानगढ़ से सरदारशहर की तरफ रावतसर तक	—१६६६३११ रु०	कार्य चालू रहेगा

Page No 82

परिशिष्ट २

(कृपाया प्रश्न संख्या ८१६ का उत्तर देखिये)

S. No.	Date of connection.	Name of Consumers.	Plot No.	Address.
1.	14/9/55	Shri Mohan Lal Sharma	B-53 Special	Gandhinagar, Jaipur
2.	7/11/55	,, Kishan Lal ,	Prakritik Chikitsalaya	-do-
3.	30/12/55	,, R.M. Taluka	B-9	,,
4.	25/1/56	,, Rajni Kant	C-89	,,
5.	28/1/56	,, Kailash Chandra jain	D-58	,,
6.	31/1/56	,, Sarwan Kumar.	C-87	,,
7.	31/1/56	,, Kanchhi Lal	C-88	,,
8.	2/2/56	,, Chiggan Lal	D Class qrs	,,
9.	9/2/56	,, K.K.B hatt	D-1	,,
1o.	9/2/56	,, Jag Jeewan Lal Sharma	184	,,
11.	1o/I/56	,, Kamal Kishore Jain	6	,,
12.	15/2/56	,, Chitra Gupta	183	,,
13.	16/2/56	,, Milap Chand	E-5	,,
14.	16/2/56	,, Utsava Lal	C-1oo	,,
15.	22/2/56	,, Sita Ram	D-12	,,
16.	24/2/56	,, Indra Lal Shah	D-34	,,
17.	27/2/56	,, Rameshwar Dutta	D-17o	,,
18-	28/2/56	,, Vidhya Prakash Kala	19	,,
19.	28/2/56	,, Pram Nath	B-89	,,
2o.	29/2/56	,, Jitandra Prasad Agrawal	D-59	,,
21.	29/2/56	,, M.L. Sharma	S.B.164	,,
22.	3o/8/56	Shrimati Sumitra Rani	C-25	,,
23.	5/3/56	Shri Laxmi Chand	D-21	,,
24.	7/3/56	,, I.N. Gaur	S.B. 26	,,
25.	7/3/56	,, Kapoor Chand	S.2 D	,,
26.	7/3/56	,, Rawti pd.	15	,,
27.	3/3/56	,, Uttam Chand	57	,,
28.	12/3/56	,, K.N. Tikku	C-12	,,
29.	13/3/56	,, Bhoneri Lal Bohara	33	,,

Page No 83

30.	13/3/56	..	Balu Singh	B-71	,,
31.	20/3/56	,,	Y.P. Sharma	C-123	..
32.	21/3/56	..	Brij Kishore Sharma	C-122	,,
33.	21/3/56	,,	Kashi Nath Sharma	D-43	,,
34.	22/3/56	,,	R.N. Roy	D-50	,,
35.	31/3/56	,,	Shankar Dutta Sharma	C-101	,,
36.	6/3/56	,,	Bhura Mal Vyas	B-182	,,
37.	28/3/56	,,	O. P. Joshi	B-28	,,
38.	28/3/56	,,	H.G. Butain	B-172	,,
39.	4/4/56	,,	Madan Copal	C-37	,,
40.	10/4/56	,,	Suraj Narain Mathur	21	,,
41.	16/4/56	,,	C. S. Gupta	51	,,
42.	19/4/56	,,	Rajendra pd.	166	,,
43.	23/4/56	,,	Sagar Mal Mehta	S.B.26	,,
44.	26/456	,,	Radhey Singh	C-21	,,
45.	26/4/56	,,	Ganpat Lal	D-28	,,
46.	30/4/56	,,	Chaila Behari	C-29	,,
47	30/4/56	,,	Feteh Lal Sanghi	201	,,

परिशिष्ट ४

[कृपया प्रश्न संख्या ७८३ का उत्तर देखिए]

फलों की दरों का विवरण-पत्र

क्रमांक	नाम पौधा	दर प्रति पौधा			विशेष विवरण
१	आम की कलमे	२	४	०	
२	अमरूद	०	५	०	
३	नींबू कागजी	०	५	०	
४	अनार	०	४	०	
५	अंगूर	०	५	०	
६	फालसा	०	५	०	
७	पपीला	०	३	०	
८	आम देशी	०	५	०	
९	नारंगी	०	४	०	
१०	करोंदा	०	४	०	
११	जामन	०	४	०	
१२	माल्टो	१	४	०	
१३	मौसम्बी	१	४	०	
१४	शहतूत	०	०	०	
१५	शरीफा	०	४	०	
१६	लहसवा	०	४	०	
१७	केला	०	४	०	
१८	कटहल	०	८	०	
१९	आडू	०	६	०	
२०	कुट	०	१२	०	
२१	आंवला	०	८	०	
२२	अंजीर	०	६	०	
२३	गुलाब	०	६	०	
२४	मेंहदी	१०	सैंकड़ा		
२५	अशोक	०	१२	०	
२६	वामन बेलिया	०	५	०	

२७	चमेली	०	४	०
२८	राय बेल	०	६	०
२९	कनेर	०	४	०
३०	रेलिया	१०	सैंकड़ा	
३१	गलतरी छोटा	०	४	०
३२	रात रानी	०	८	०
३३	गलतरी बड़ी	०	१२	०
३४	चांदनी	२०	सैंकड़ा	
३५	चीनिया	०	४	०
३६	टिकम्बर	१०	सैंकड़ा	
३७	कचनार	०	४	०
३८	पनमलिया	०	४	०
३९	पीपल	०	४	०
४०	दूरन्टा	०	६	०

Page No 86

दुर्गापुरा उद्यान का विवरण पत्र १९५३–५४

नाम	संख्या	कीमत		
		रु०	आ०	पाई
फलों के पौधे	२०६२८	६५६९	३	०
फूलों के व अन्य पौधे	१२३५	३१०	०	०
	२१८६३	६८७९	३	०

दुर्गापुरा उद्यान का विवरण पत्र

वार्षिक पौधे का वितरण व उसकी आय सन् १९५४–५५

नाम	संख्या	कीमत		
फलों के पौधे	९२९०	२२५८	६	०
फूलों के व अन्य पौधे	१०३९	२५०	०	०
	१०३२९	२५०८	६	०

दुर्गापुरा उद्यान का विवरण पत्र

वार्षिक पौधे का वितरण व उसकी आय सन् १९५५—५६

नाम	संख्या	कीमत		
फलों के पौधे	१४५४४	४३२९	१२	०
फूलों के व अन्य पौधे	१४९२	२६६	१३	०
	१६०३९	४३२५	९	०